दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

सितम्बर भाग-1, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- COVID-19 और खाद्य सुरक्षा 5
- भारत में डिजिटल शिक्षा 7
- समाज और सोशल मीडिया 10
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: घोषणाएँ एवं चुनौतियाँ 13
- स्वायत्त निकाय 15
- भारत में प्रवासन और प्रवासियों पर लॉकडाउन का प्रभाव 18

आर्थिक घटनाक्रम **21**

- GST क्षतिपूर्ति के मुद्दे 21
- जीएसटी मुआवज़े की लागत 23

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **26**

- अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद की आवश्यकता 26

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **28**

- भारत: विश्व का तकनीकी गैराज 28
- बीटी कपास के प्रभाव 30

आंतरिक सुरक्षा **33**

- नगा विद्रोह का मुद्दा 33

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

COVID-19 और खाद्य सुरक्षा

संदर्भ

COVID-19 महामारी के चलते विश्व भर में विकास की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इसे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के पूर्व-संकट के साथ-साथ रोज़गार में ह्रास, आपूर्ति श्रंखला में व्यवधान, प्रमुख निर्यात एवं प्रेषण के माध्यम से राजस्व में आई गिरावट के संयोजित संदर्भ में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) के अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 270 मिलियन हो जाएगी, जिसमें COVID-19 के कारण भुखमरी का शिकार हुए 121 मिलियन नए खाद्य असुरक्षित भी शामिल हैं। हालाँकि दक्षिण एशिया विशेष रूप से सुभेद्य स्थिति में है, जहाँ वर्ष 2030 तक कुपोषित आबादी की संख्या बढ़कर 330 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा उप-समूह क्षेत्र है जहाँ समाज के सबसे गरीब वर्ग के आधे से अधिक बच्चे अविकसित हैं।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

अत्यधिक भूख

- COVID-19 महामारी के प्रभाव से भूख या अल्पपोषण की दर में वृद्धि हो रही है।
- संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में 83 से 132 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक भूख से पीड़ित हो सकते हैं।
- वर्तमान में पहले से ही भुखमरी का शिकार लोगों का आँकड़ा 690 मिलियन के पार है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ें बेहद डरावने प्रतीत होते हैं।

कुपोषण

- अत्यधिक भूख के अलावा लोग अल्पपोषण से भी पीड़ित हैं।
- इसका मतलब यह है कि वे एक सामान्य, सक्रिय जीवन जीने के लिये आवश्यक भोजन का उपभोग करने में भी असमर्थ हैं। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका उनके भविष्य पर दीर्घकालिक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अत्यधिक गरीबी

- विश्व बैंक के अनुसार, महामारी की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था के चलते लगभग 100 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो जाएंगे।
- बढ़ती बेरोज़गारी दर, आय में कमी और खाद्य लागतों की बढती दर विकसित और विकासशील देशों में खाद्य पहुँच को खतरे में डाल रही है और इससे खाद्य सुरक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

मंदी

- इसके अलावा महामारी के चलते विश्व के अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाएँ मंदी का शिकार हो सकती हैं जो गरीबों और वंचितों के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न करेगी।

तीव्र सामाजिक विभाजन

- COVID-19 ने विश्व भर में व्याप्त कुछ गहरी विषमताओं को उजागर किया है।
- जहाँ एक ओर अमीर लोग अपने धन संचय के कारण आरामदायक जीवन यापन कर रहें हैं ।
- वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों का रोज़गार छिन गया है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपने परिवार को पेट भर खिला सकें।

नोट :

आगे की राह

अमीरों से गरीबों की ओर धन का प्रवाह करना

- इन नई समस्याओं से निपटने के लिये नए विचारों और अधिक मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।
- अतीत में हुई आर्थिक प्रगति मज़बूत अर्थव्यवस्थाओं के ट्रिकल-डाउन प्रभाव यानी अमीरों से गरीबों की ओर धन के प्रवाह द्वारा जारी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिये जो कमज़ोर हैं और हाशिए पर खड़े हैं।

बढ़ता लचीलापन

- हमें ई-कॉमर्स जैसे नए विपणन चैनलों की पहचान करके अपनी खाद्य प्रणालियों में लचीलापन बढ़ाने के तरीकों को खोजने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय बाज़ार में कम मांग की स्थिति में भी किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिये और अधिक मार्ग प्रदान किये जा सकें।
- यदि संभव हो तो स्वास्थ्य, स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिये उचित बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करते हुए बाज़ारों को बड़े परिसरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिये।

दक्षता में वृद्धि

- हमें महामारी के चलते हुए नुकसान को कम करने और उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी दक्षता में सुधार करना चाहिये।
- उत्पादकों के समीप संग्रह केंद्रों की पहचान करके ऐसा किया जा सकता है; उदाहरण के लिये गोदाम रसीद प्रणाली प्लेटफार्मों जैसी भंडारण सुविधाएँ विकसित करना, जहाँ किसान बाज़ार में जाए बिना अपनी उपज को वितरित कर सकते हैं।
- अगर संभव हो तो बाज़ार के भीतर और बाहर शारीरिक दूरी बनाए रखने के उपायों को लागू करते हुए स्थानीय बाज़ारों को खुले रखने की अनुमति दी जा सकती है।

समावेशी वित्त

- ग्रामीण आपूर्ति श्रंखलाओं को मज़बूत बनाने और विस्तारित करने के लिये वित्त की समावेशी पहुँच भी महत्त्वपूर्ण है।
- बैंकिंग उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर गरीब आबादी के लिये उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

व्यापक रिकवरी कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation- FAO) ने हाल ही में एक व्यापक और समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये एक नया कार्यक्रम "COVID-19 प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम" शुरू किया है जिसका उद्देश्य सभी के लिये पौष्टिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

नवाचार को प्रोत्साहित करना

- हमें किसानों को निरंतर नवाचार के माध्यम से अधिक गतिशील, उद्यमी और प्रतिस्पर्द्धी बनाने पर बल देना चाहिये, यह हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिये।
- खाद्य असुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिये हमें ऐसे छोटे किसानों की आवश्यकता है जो फसल के खराब होने के डर के बिना पोषक तत्त्वों वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सकें। इन खाद्य पदार्थों को देश भर और उसके बाहर भी, ऐसे लोगों तक पहुँचाया जा सकता है जो भुखमरी का सामना करने को विवश हैं।
- ऐसा करने के लिये छोटे शेयरधारकों की वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुँच सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

COVID-19 के संबंध में भारतीय प्रतिक्रिया

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति की माप करने, मानव जीवन और आजीविका को पहुँच रही क्षति को कम करने के लिये समस्त राष्ट्र ने एकजुट होकर कुछ त्वरित निर्णय लिये हैं।

नोट :

- महामारी से निपटने के लिये सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को भी विस्तारित किया है, उदाहरण के लिये; PM किसान योजना (PM Kisan scheme) के अंतर्गत नकद हस्तांतरण, मनरेगा के अंतर्गत अधिक उदार वित्तपोषण जैसे- अग्रिम संवितरण, निर्माण श्रमिकों को सीधे नकद अनुदान और सभी लोगों के लिये खाद्य सुनिश्चित करने के लिये लगभग 800 मिलियन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के अंतर्गत नि:शुल्क और रियायती खाद्यान्न प्रदान करने जैसे कार्यक्रम।
- देश को वैश्विक आपूर्ति के संदर्भ में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के खिलाफ स्वतंत्र बनाने और महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए गरीबों, मज़दूरों, प्रवासियों को सशक्त बनाने के लिये सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना (Atma Nirbhar Bharat Scheme) के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए (भारत की GDP के 10% के बराबर) के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
- स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति के तेज़ी से उन्नयन, सक्रिय भागीदारी के साथ नीतियों और कार्यक्रमों के त्वरित पुनर्मूल्यांकन तथा सभी हितधारकों (राजनेताओं, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों सहित) की भागीदारी;, कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जिनके संदर्भ में सरकार ने महत्त्वपूर्ण उपाय किये हैं।

निष्कर्ष

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बेहतरीन कृषि वैज्ञानिक और संस्थान विद्यमान हैं। यदि हम सहयोग और समन्वय पर विशेष बल देते हैं, जैसा कि हम कर भी कर रहे हैं तो हम इस महामारी से भी लड़ सकते हैं। इस समय हर किसी को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना होगा। सरकारें, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ, नागरिक समाज संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और सामान्य लोग सभी के लिये भोजन की पहुँच सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

महामारी को दूर करने के लिये हमें एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत हैं। FAO ने इन सामूहिक चुनौतियों से निपटने के लिये हैंड-इन-हैंड पहल शुरू की है। इसके अतिरिक्त एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिये FAO क्षेत्रीय सम्मेलन, जिसे भूटान द्वारा वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, इस दिशा में एक सुनहरा अवसर साबित होगा। एक साथ काम करने, सीखने और एक साथ योगदान देने से, हम महामारी और कृषि-खाद्य प्रणाली दोनों समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं।

भारत में डिजिटल शिक्षा

संदर्भ

कोरोनावायरस महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। COVID-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और संभवत: वे दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। यदि स्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी रहती है तो शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय वर्ष 2021 तक भी विस्तारित हो सकता है। इस स्थिति में शिक्षा को संचालित रखने के लिये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर फोकस किया जा रहा है। हालाँकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में बहुत सी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में इनमें जल्द से जल्द सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ

उचित अध्ययन स्थानों का अभाव

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तीन या उससे अधिक सदस्यों वाले 71 प्रतिशत घरों में दो कमरे या उससे भी कम (74 प्रतिशत ग्रामीण और 64 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में) आवासीय स्थान हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ने के लिये अलग से स्थान उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य साबित हो रहा है।

इंटरनेट की अपर्याप्त पहुँच

- वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42 प्रतिशत शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी और केवल 34 प्रतिशत शहरी एवं 11 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तियों ने पिछले 30 दिनों में इंटरनेट का उपयोग किया था।

- ये आँकड़े स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में स्वाभाविक रूप से कम से कम दो तिहाई (2/3rd) बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
- हमेशा की तरह इस प्रक्रिया में भी सबसे अधिक प्रभावित हाशिए पर मौजूद, ग्रामीण और गरीब आबादी ही होगी।

इंटरनेट की धीमी गति

- जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है तो इसका अर्थ इस बात से होता है कि शिक्षकों के साथ सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाए या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से व्याख्यान दिये जाएं। दोनों कार्यों के लिये एक स्थिर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
- इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस दिशा में हम केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के छात्रों द्वारा किये जा रहे नियमित विरोध प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उचित इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में वे अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

किसी मानक नीति का न होना

- डिजिटल शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षकों द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखने या व्याख्यान का माध्यम ऑनलाइन वीडियो हो।
- डिजिटल शिक्षा का तात्पर्य प्रौद्योगिकी, उपकरण, अंतरक्रियाशीलता, अवधि, अध्ययन सामग्री और उपयुक्त प्लेटफार्मों के माध्यम से कक्षा में शिक्षण को और अधिक संवादात्मक बनाना है।
- ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में आ रही इतनी चुनौतियों का मूल कारण यह है कि वर्तमान में हमारे पास डिजिटल शिक्षा, अवसंरचनात्मक ढाँचे, अध्ययन सामग्री, सहभागिता और कई भाषाओं में उपलब्ध एक उचित नीति का अभाव है।

सामाजिक सामंजस्य का अभाव

- सार्वजनिक शिक्षण संस्थान भी सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता में एक अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं।
- यह वह स्थान है जहाँ सभी लिंग, वर्ग, जाति और समुदाय के लोग बिना किसी दबाव या विवशता के एक दूसरे के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- यह जीवन की वह महत्त्वपूर्ण सीख है जो ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पूरी नहीं हो सकती है।

शिक्षक प्रशिक्षण

- स्कूलों में शिक्षक न केवल बच्चों को पुस्तकों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि वे उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिये भी उत्तरदायी होते हैं।
- स्कूलों में बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी विकास की देखभाल की जाती है, जो इस सामाजिक दूरी के कारण संभव नहीं हो पा रही है।
- साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

पालन-पोषण का मुद्दा

- एक अन्य चुनौती यह है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जब अभिभावक अपने कार्यों पर लौट जाएंगे तब हज़ारों बच्चों को स्कूलों से बाहर रखना, चिंता का विषय है। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न होगी कि इन बच्चों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी और ये घर पर कैसे सीखेंगे।

आगे की राह

भारत नेटवर्क (Bharat Network)

- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network- NOFN) जिसे अब भारत नेटवर्क (Bharat Network) कहा जाता है, का उद्देश्य 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ देश की सभी 2,50,000 पंचायतों को आपस में जोड़ना है।

नोट :

- BharatNet के माध्यम से सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 Mbps बैंडविड्थ प्रदान करने की परिकल्पना करती है ताकि ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीण भारत के सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके।
- इसमें ई-गवर्नेंस, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, ई-कॉमर्स और ई-स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
- इस नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह अवसंरचना न केवल एक राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी तथा बल्कि गैर-भेदभाव पूर्ण पहुँच सेवा वितरण के माध्यम से यह नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में एक गेम चेंजर भी साबित होगी।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network- NKN)

- यह एक अखिल भारतीय मल्टी-गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन्स और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) इसे लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है।
- परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी मिशन उन्मुख एजेंसियाँ भी NKN का हिस्सा हैं।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विचारधारा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार और निर्माण में लगी संस्थाओं जैसे- अनुसंधान प्रयोगशालाएँ, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल संस्थान और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों की क्षमता का उपयोग करने के लिये एक उच्च गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से इन सभी को कनेक्ट करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य ज्ञान बाँटने और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिये एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा और शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है।
- यह विभिन्न शैक्षणिक नेटवर्कों जैसे TEIN4, गरुड़ (GARUDA), CERN और इंटरनेट 2 (Internet2) के शोधकर्त्ताओं के बीच सहयोग को सक्षम करता है। यह दूरस्थ उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँच और वैज्ञानिक डेटाबेस को साझा करने की योजना को संभव बनाता है।
- NKN का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है, जो एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि इसे डिजिटल इंडिया पहल का एक मुख्य घटक बनाने और आर्थिक पिरामिड के सबसे नीचे स्तर पर ई-सेवाएँ प्रदान करने के लिये इसका लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

वित्तीय सहायता में वृद्धि करना

- सरकार को स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के लिये बजट में अधिक धन आवंटित करने के बारे में बहुत गंभीरता के साथ सोचना होगा।
- कुछ दिनों पहले लॉन्च की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (New National Education Policy-2020) में शिक्षा बजट को GDP के 6% तक बढ़ाने की घोषणा एक सराहनीय कार्य है।

अभिभावकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण

- अधिकांश शिक्षक और अभिभावक तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं और उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास तकनीक के बारे में बुनियादी ज्ञान का भी अभाव है। ऐसे में यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें इस विषय में प्रारंभिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकें।

इंटरनेट तक पहुँच में वृद्धि करना

- कोरोना महामारी ने हमें नए और रचनात्मक तरीकों में बदलाव के साथ समायोजन स्थापित करने के विषय में बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन इस मार्ग में अपेक्षित एवं कमज़ोर वर्गों को साथ लेकर चलना भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि तकनीक और विज्ञान को जीवन के नए आयामों में समाहित करना।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में रचनात्मक एवं तकनीकी पक्ष को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये, विशेष रूप से कम आय वाले समूहों से आने वाले सामान्य एवं निशक्त छात्रों की उपस्थिति के लिये यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- सरकार द्वारा शिक्षकों का डिजिटलीकरण करने के साथ-साथ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के ऐसे प्लेटफॉर्म और अध्ययन सामग्री को निशुल्क उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिये।

- उन्हें स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा के दौर में मात्र आवश्यक बुनियादी ढाँचे के अभाव के चलते पीछे न रह जाए।

निष्कर्ष

- डिजिटल शिक्षा सभी संवर्गों के लिये शिक्षा का एक आनंददायक साधन है। विशेष रूप से बच्चों के सीखने के लिये यह बहुत प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि मौलिक ऑडियो-वीडियो सुविधा बच्चे के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक तत्त्वों में वृद्धि करती है, बच्चों में जागरूकता, विषय के प्रति रोचकता, उत्साह और मनोरंजन की भावना बनी रहती है। वे सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से सीखते हैं।
- डिजिटल लर्निंग में शामिल INFO-TAINMENT संयोजन इसे हमारे जीवन एवं परिवेश के लिये और अधिक व्यावहारिक एवं स्वीकार्य बनाता है।
- डिजिटल लर्निंग को छात्र एक लचीले विकल्प के रूप में देखते हैं जो उन्हें अपने समय और गति के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है। शिक्षकों को भी तकनीकी के सहयोग से अपनी अध्यापन योजना को बेहतर बनाने में सुविधा होती है, साथ ही नवाचार एवं नए विचारों के समावेशन से वे छात्रों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित भी कर पाते हैं।
    - शिक्षण में तकनीकी के प्रवेश से यह एनीमेशन, गैमिफिकेशन और विस्तृत ऑडियो-विज़ुअल प्रभावों के मिश्रण के साथ और अधिक प्रभावी एवं तेज़ी से ग्रहण करने योग्य हो जाता है।
- इसलिये शिक्षण और अधिगम के ऑनलाइन उपाय निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें उचित माध्यम से स्थापित किया जाए, स्पष्ट रूप से इन उपायों को फेस-टू-फेस शिक्षा की पद्धतियों के पूरक, समर्थन और प्रवर्धन के रूप में स्वीकार्य बनाया जाने पर बल दिया जाना चाहिये। निश्चित रूप से इस संदर्भ में शिक्षक-कक्षा आधारित शिक्षण से डिजिटल-शिक्षा तक के सफर में समय के साथ बहु-आयामी प्रयासों को संलग्नित किये जाने की आवश्यकता है।

समाज और सोशल मीडिया

संदर्भ

फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया (Social Media- SM) प्लेटफार्मों की अभूतपूर्व वृद्धि लोकतंत्रों के कामकाज में एक दोधारी तलवार साबित हो रही है। एक ओर इसने सूचना तक पहुँच का लोकतांत्रिकरण किया है, वहीं दूसरी ओर इसने नई चुनौतियाँ भी पेश की है जो अब सीधे हमारे लोकतंत्र और लोगों पर प्रभाव डाल रही हैं।

सोशल मीडिया का विस्तार

- भारत में वर्ष 2019 तक 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ता थे।
- इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है।
- एक अनुमान के अनुसार, दिसंबर 2020 तक भारत में लगभग 639 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे।
- भारत के अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्त्ता मोबाइल फोन इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं।
    - वर्ष 2019 में भारत में कुल डेटा (4G डेटा उपभोग के साथ) ट्रैफिक में 47% की वृद्धि हुई है। देश भर में खपत होने वाले कुल डेटा ट्रैफिक में 4G की भागीदारी 96% है जबकि 3G डेटा ट्रैफिक में 30% की उच्चतम गिरावट दर्ज की गई।

सोशल मीडिया के लाभ

- सूचना का लोकतंत्रीकरण
    - सोशल मीडिया ज्ञान और व्यापक स्तर पर संचार सुविधाओं का लोकतंत्रीकरण करता है।
    - विश्व भर के अरबों लोगों ने अब सूचना को संरक्षित रखने और इसका प्रसार करने के पारंपरिक माध्यमों को चलन से लगभग बाहर कर दिया है। वे सिर्फ इसके उपभोक्ता ही नहीं सामग्री के निर्माता और प्रसारकर्त्ता भी बन गए हैं।

- नए अवसर
  - आभासी दुनिया का उदय ऐसे लोगों को अपनी आवाज़ को मुखर करने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें या तो अभी तक सुना नहीं जाता था अर्थात् समाज का अपेक्षित आभासी दुनिया के माध्यम से ये लोग दूसरे लोगों से जुड़ते हैं और स्वयं को स्थापित कर पाते हैं। अगर व्यवसाय के रूप में देखें तो कई YouTubers का उदय इस घटना का प्रमाण है।
- व्यापक और विषम समुदाय
  - भौतिक समुदायों की तुलना में ऑनलाइन समुदाय भौगोलिक रूप से बहुत व्यापक और अधिक विषम हैं।
  - अतीत में भारत में कई समुदायों को सार्वजनिक प्रवचनों में भाग लेने, खुद को संगठित करने तथा अपनी सोच और विचारों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। उनकी चिंताओं, विचारों, अनुभवों, महत्त्वाकांक्षाओं और मांगों को काफी हद तक अनसुना कर जाता था।
- सस्ता और आसान
  - सोशल मिडिया के लिये आवश्यक कंटेंट के निर्माण में ईंट और चूने पत्थर या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है। यह अक्सर मृदु-कौशल से संचालित होता है।
  - प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्ति सक्षम, प्रामाणिक, प्रभावी और मौलिक ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकता है।
- आधिपत्य का मुकाबला
  - सोशल मीडिया भी पारंपरिक खिलाड़ियों के आधिपत्य या रिवायत का मुकाबला करने के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
  - इसने विश्व में ज्ञान का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया है, जिससे मुख्यधारा का मीडिया फर्जी खबरों और प्रचार-प्रसार के लिये गंभीर सार्वजनिक आलोचनाओं के घेरे में आ गया है।
- दूरी समाप्त हो रही है
  - सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरी को भी समाप्त करने का काम किया है।
  - दोस्त और परिवार अब दूर होने के बावजूद भी व्हाट्सएप और अन्य एप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
- सरकार के साथ सीधा संवाद
  - आज सोशल मीडिया ने आम लोगों को सरकार से सीधे बातचीत करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार दिया है।
  - आम लोग अपने सवाल या परेशानियों को रेलवे और अन्य मंत्रालयों को पोस्ट कर देते हैं, जो इन दिनों आम खबर है।

चुनौतियाँ

- द्वेषपूर्ण भाषण और अफवाहें (Hate speech and Rumours)
  - पिछले कुछ समय से कई मामलों में हिंसा और जान-माल की क्षति के लिये नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहें ज़िम्मेदार रहे हैं।
  - हाल ही का एक मामला है जब महाराष्ट्र के पालघर के गडचिंचल गाँव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई।
  - व्हाट्सएप मैसेज द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि क्षेत्र में तीन चोर चोरी कर रहे हैं, इस अफवाह के चलते गाँव के एक समूह ने तीनों यात्रियों को चोर समझकर उनकी हत्या कर दी थी। हस्तक्षेप करने वाले कई पुलिस कर्मियों पर भी गाँव वालों ने हमला कर दिया जिससे वे घायल हो गए।
  - 2020 के दिल्ली दंगों में सोशल मीडिया पर हुए द्वेषपूर्ण भाषण की बड़ी भूमिका थी।
- फेक न्यूज़
  - वर्ष 2019 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं।
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से प्रसारित एडिटेड इमेज, हेरा-फेरी वाले वीडियो और झूठे संदेशों की एक चौंका देने वाली संख्या मौजूद है जिससे गलत सूचनाओं और विश्वसनीय तथ्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

ऑनलाइन ट्रोलिंग

- ट्रोलिंग सोशल मीडिया का नया उप-उत्पाद है।

- कई बार लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों को ट्रोल करना और धमकाना शुरू कर देते हैं जो उनके विचारों या आख्यानों से सहमत नहीं होते हैं।
- इसने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करने वाले गुमनाम ट्रोल को भी बढ़ावा दिया है।

महिला सुरक्षा

- महिलाओं को साइबर रेप और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है जो उनकी गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
- कभी-कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो को साइबर पर लीक कर देने की धमकी दी जाती है।
- कभी-कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो लीक हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें साइबर अपराध के लिये मजबूर किया जाता है।

आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
  - कई सोशल मीडिया केंद्रों ने कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने या फिल्टर करने के लिये स्वचालित और मानव संचालित एडिटेड प्रक्रियाओं का मिश्रण तैयार किया है।
  - ये AI इकाइयाँ स्वचालित रूप से किसी छवि या समाचार को साझा करने पर हर बार गलत रिपोर्टिंग के खतरे को भांप लेंगी।
  - इस अभ्यास को और अधिक दृढ़ता के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिये।
- फर्जी सूचना के प्रति अवगत होना
  - यह एक ऐसा तरीका है जहाँ फर्जी जानकारी के साथ कंटेंट की वास्तविक सुचना भी पोस्ट की जाती है ताकि उपयोगकर्त्ताओं को वास्तविक जानकारी और सच्चाई से अवगत कराया जा सके।
  - YouTube द्वारा लागू किया गया यह तरीका उपयोगकर्त्ताओं को नकली या घृणित सामग्री में किये गए भ्रामक दावों को खत्म कर देगा तथा सत्यापित और सुव्यवस्थित जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- विनियमन लाना
  - सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिये एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून होना चाहिये।
  - इस संबंध में ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिये और कानूनी प्रावधान होने चाहिये।
- जन जागरूकता
  - वर्तमान में देश को डिजिटल साक्षर बनाए जाने की ज़रूरत है।
  - एक ज़िम्मेदार सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय में देश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परिक्षण किया जाना चाहिये, जहाँ लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं।

कानूनी उपाय

- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने चुनाव के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत सूचना के प्रसार पर अंकुश लगाने के कई उपायों की घोषणा की थी।
- इसने राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया कंटेंट को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया और उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया खातों तथा उनके संबंधित सोशल मीडिया अभियानों पर सभी खर्चों का खुलासा करने के लिये कहा था।
- इसी प्रकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) की मीडिया विंग विभिन्न सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों पर नज़र रखने में सरकार के विभिन्न संगठनों की सहायता करती रही है।
- इस तरह की गतिविधियों को सभी पैमानों और संस्थानों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- जैसा कि भारत एक निगरानी राज्य नहीं है, इसलिये निजता, बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई गैर-कानूनी या असंवैधानिक जाँच नहीं होनी चाहिये जो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार हैं। इसमें एक संतुलन होना चाहिये क्योंकि संविधान ने भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कई सीमाएँ लगाई है।

नोट :

- बड़ी प्रौद्योगिकी फर्में, जिनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कंटेंट के संदर्भ में मध्यस्थता कर सकती हैं और इस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं।
- उन्हें और सभी को अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये, जिसके व्यापक सामाजिक प्रभाव होते हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: घोषणाएँ एवं चुनौतियाँ

संदर्भ

7 अगस्त 2020 को छठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और इस दिन वस्त्र मंत्रालय द्वारा कई घोषणाएँ भी की गई। COVID-19 महामारी के कारण वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक आभासी मंच पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इन घोषणाओं ने हथकरघा उद्योग के लिये बहुत आवश्यक कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया लेकिन साथ ही इससे कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं।

घोषणाएँ:

हथकरघा, पावरलूम, ऊन, जूट और रेशम बोर्डों की समाप्ति:

- वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा, पावरलूम, ऊन, जूट और रेशम बोर्ड को समाप्त करने की घोषणा की।
- न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बोर्ड को हटा दिया गया है।
- इस कदम का उद्देश्य एक कम सरकारी हस्तक्षेप वाले तंत्र एवं सरकारी निकायों के व्यवस्थित सुव्यवस्थीकरण के लिये है।
- ये बोर्ड राजनीतिक संरक्षण के स्थान बन गए थे और बुनकरों को इनसे कोई फायदा नहीं था।

न्यू हैंडलूम पोर्टल: बुनकर समुदाय में गर्व की भावना बढ़ाने के लिये सोशल मीडिया अभियान के साथ-साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक हैंडलूम पोर्टल की शुरुआत की गई।

आभासी प्रदर्शनी:

- हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद ने एक आभासी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया।
- यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक प्रतिभागियों को विशेष डिज़ाइन एवं कौशल के साथ अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु जोड़ने के लिये थी।
- प्रदर्शनी में मनोहर एवं सुंदर हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिन्हें खरीददारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हथकरघा मालिकों से खरीदा जा सकेगा।

मीट द मेकर्स अभियान : फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (FDCI), एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत में फैशन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और इसके सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिये काम करता है, मीट द मेकर्स सहित कई अभियान शुरू किये जो हथकरघा निर्माताओं को बढ़ावा देंगे।

COVID-19 सहायता कोष:

- एफडीसीआई द्वारा देश भर में आगामी डिज़ाइनरों का समर्थन करने के लिये एक नया कोष भी शुरू किया गया। एफडीसीआई बुनकरों से माल खरीदेगा, जिसका इस्तेमाल उच्च माँग वाले कॉटन मास्क या परिधान बनाने के लिये किया जाएगा।
- इसके पीछे यह दृष्टिकोण है कि उनके बिना बिके हथकरघा वस्त्र भंडारों को खरीदा जाए, जो बुनकर समुदाय को बेहतर आजीविका कमाने में मदद करेगा।

आत्मनिर्भर भारत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से हस्तशिल्प के प्रति मुखर होने और एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों को मज़बूत करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने आमजन से हथकरघा उत्पाद खरीदने और इस भारतीय विरासत का कीर्तिगान करने का आग्रह किया।

नोट :

चुनौतियाँ

नए संस्थान की स्थापना:

- हथकरघा, पावरलूम, ऊन, जूट और रेशम बोर्ड को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इनकी समाप्ति को एक बेहतर संस्थान बनाने की ओर ले जाना चाहिये, न कि संबंधित बुनकरों की आवाज़ को दबाने का कार्य करना चाहिये।
- इन्हें हथकरघा-बुनकर श्रृंखला से स्पिनरों-बुनकरों, खरीदारों, डिजाइनरों, निज़ी एवं सार्वजनिक शिल्प संस्थानों, ई-मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और विशेषज्ञों सहित वास्तव में अनुभवी, गतिशील, स्वायत्त तथा समावेशी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

अंतर्संबंध:

- घोषणा में पर्यटन जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ योजनाओं का एकीकरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे संस्कृति, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- ये सभी मंत्रालय वस्त्र और शिल्प से संबंधित होते हैं और अक्सर, इनके कार्यों का परिणाम वस्त्र मंत्रालय के साथ प्रभावी रूप से एकीकृत करने के बजाय प्रतिलिपिकरण और अतिव्यापीकरण के रूप में होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना:

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निस्संदेह एक नई किरण है, लेकिन अगर बुनकरों को एक विशेष हथकरघा पोर्टल से ज्ञान प्राप्त करना है, तो उन्हें कनेक्टिविटी, कंप्यूटर एवं डिज़िटल ज्ञान की आवश्यकता है।
- जैसा कि बाज़ार ऑनलाइन माध्यमों से चलते हैं, कारीगरों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना और ऑनलाइन पोर्टल संचालित करने के लिये प्रशिक्षित करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय दूतावासों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदर्शनियों का आयोजन वैश्विक दर्शकों को हथकरघा की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूक करने और भारत के कारीगरों को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में सम्मानित करने के लिये किया जाना चाहिये।

कच्चा माल:

- चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019-2020) लगभग 59.5 प्रतिशत बुनकर परिवारों द्वारा आवश्यक कच्चे माल के लिये समर्थन का हवाला देती है।
- कपास, रेशम, और ऊनी धागों से लेकर रंगों की लागत में वृद्धि हुई है अत: बुनकरों के पास इनकी कमी है।

क्रेडिट समर्थन:

- टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड किया है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिये बजट आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 6,943 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 4,831 करोड़ रुपए (2019-2020) हो गया।
- इसका अर्थ यह भी है कि बुनकरों की विभिन्न योजनाएँ आवासन, अनुदान, स्वास्थ्य बीमा, भी प्रभावित होंगी।
- अक्सर छोटे बुनकर धन उधारदाताओं की दया पर निर्भर करते हैं और वे विपरीत परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेते हैं।

घटती संख्या:

- कई परिवार मज़दूरों के रूप में नौकरियों के लिये शहरों में पलायन कर, बुनकर हथकरघा उद्योग को छोड़ रहे हैं।
- हालाँकि हाल ही में हथकरघा जनगणना (2019-2020) बताती है कि देश में लगभग 31.44 लाख हथकरघा परिवार हैं और इसमें पिछली जनगणना के 27.83 लाख हथकरघा परिवार की तुलना में वृद्धि देखी गई है, यह संख्या अभी भी निराशाजनक है।
- यदि वर्ष 1995-96 में, संख्या 65.51 लाख थी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक बड़ी चिंता का विषय है।

पहुँच में कमी:

- खराब बुनियादी ढाँचे, पुराने करघों और प्रमुख बाज़ारों तक पहुँचने की अयोग्यता ने हथकरघा बुनकरों के जीवन को और भी दुरूह बना दिया है।

- हालाँकि कई संगठन एवं एनजीओ स्थानीय समुदायों को उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष पहुँच में सहायता करते रहे हैं, फिर भी इसे प्रत्येक आय वर्ग के बुनकरों के लिये समान अवसरों वाला क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है चाहे बड़ा बुनकर हो जिसके अधीन 50 से अधिक लोग काम करते हैं या एक छोटा बुनकर जो अपने छह सदस्यीय परिवार के साथ घर से काम करता है।
- हालाँकि वर्तमान में बुनकरों के लिये कई सरकारी योजनाएँ हैं, बुनकरों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी रखने वाले बुनकर कुल बुनकरों की संख्या के केवल 3% हैं और केवल 10.5 प्रतिशत बुनकरों के लिये ऋण माफी के बारे में जानते हैं जिसका वे लाभ उठा सकते हैं (हथकरघा जनगणना 2019-2020)।

आगे की राह

जानकरी एवं पहुँच:

- जागरूकता प्रदान करने, बाज़ारों तक पहुँच और अनुसंधान एवं विकास, कच्चे माल की आसान पहुँच और बेहतर क्रेडिट सहायता से देश के विभिन्न हिस्सों में बुनकरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है।
- यह हमारे देश की हथकरघा विरासत को बढ़ावा देने के लिये एक लंबा मार्ग प्रशस्त करेगा।

सत्यम और अजय शंकर समिति की सिफारिशों को लागू करना:

- सरकार को सत्यम और अजय शंकर समिति की रिपोर्ट को लागू करना चाहिये जो व्यापार सुगमता और भारत के हथकरघा क्षेत्रों से संबंधित थी जैसा कि सरकार ने इसके समान ही कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के मामले में किया है जो नई शिक्षा नीति 2020 का आधार है।

बॉटम-अप दृष्टिकोण:

- प्रधानमंत्री का "लोकल टू ग्लोबल" आह्वान स्पष्ट रूप से उत्पादन से विपणन तक एक बॉटम-अप दृष्टिकोण को इंगित करता है।
- यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से प्रवासन कम होगा। स्थानीय बाज़ारों के लिये स्थानीय उत्पादन एक शानदार रणनीति है और इसके प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

- जुलाई 2015 में, भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को काम प्रदान करने के लिये प्रति वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
- 7 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के शतवार्षिकी महोत्सव में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये बंगाल विभाजन के विरोध में वर्ष 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किये गये स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था।
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के पीछे मुख्य सार सिर्फ कारीगरों के आत्मविश्वास या आय को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हथकरघा उत्पादों को अधिक से अधिक मान्यता प्रदान करना है।

स्वायत्त निकाय

संदर्भ

केंद्र सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, हथकरघा बोर्ड और पावर लूम बोर्ड को सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप समाप्त कर दिया है। वस्त्र मंत्रालय ने आठ वस्त्र अनुसंधान संघों का दर्ज़ा "संबद्ध निकाय" के बजाय "स्वीकृत निकाय" कर परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात, सरकार ने इन वस्त्र संघों के संचालन निकायों से वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों को हटा दिया। यह कम सरकारी हस्तक्षेप वाले तंत्र को प्राप्त करने एवं सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की शुरुआत करने के लिये साहसिक कदम है इसके अतिरिक्त, कुछ समय से यह स्पष्ट था कि स्वायत्त निकायों में एक निर्धारित प्रशासनिक ढाँचे के बावजूद, शासन के कई मुद्दों की समीक्षा की आवश्यकता है।

स्वायत्त निकाय क्या हैं ?

- जब भी यह महसूस किया जाता है कि कुछ कार्यों को सरकारी तंत्र के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता एवं कुछ लचीलेपन के साथ किये जाने की आवश्यकता है तब स्वायत्त निकायों की स्थापना की जाती है।
- ये मंत्रालय/विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किये जाते हैं और या तो पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित होते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि इस तरह के संस्थान अपने स्वयं के आधार पर कितने आंतरिक संसाधन जुटाते हैं।
- ये अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा उनके निर्देशों के साथ-साथ पदों के निर्माण की शक्तियों से संबंधित इत्यादि के लिये निर्देशों द्वारा विनियमित होते हैं।
- अधिकतर स्वायत्त निकाय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किये जाते हैं और कुछ मामलों में वे विभिन्न अधिनियमों में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक संस्थानों के रूप में स्थापित किये गये हैं।

स्वायत्त निकायों की कार्यक्षमता

- स्वायत्त निकाय सरकार के कामकाज में एक प्रमुख हितधारक होते हैं क्योंकि वे नीतियों के लिये रूपरेखा तैयार करने, अनुसंधान का संचालन करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने आदि से लेकर विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए होते हैं।
- स्वायत्त निकायों के शीर्ष प्रशासनिक निकाय को संचालन परिषद अथवा संचालन निकाय कहा जाता है और इनकी अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के मंत्री या सचिव द्वारा की जाती है।
- इन स्वायत निकायों में नामित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ क्रय समिति, कार्य समिति, वित्त समिति जैसी विशिष्ट समितियाँ होती हैं।
- इन स्वायत्त निकायों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट किया जाता है और प्रति वर्ष संसद में इनकी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

स्वायत्त निकायों से संबंधित मुद्दे

उत्तरदायिता

- ये निकाय करदाताओं के धन से वित्तपोषित होते हैं। हालाँकि, ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि वे सरकार की नीतियों का पालन नहीं करते हैं, ये उसी प्रकार जवाबदेह हैं जिस तरह से सरकारी विभाग हैं।
- यद्यपि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वायत्त निकायों की समितियों की बैठकों में उपस्थित होना आवश्यक होता है, लेकिन उनमें से अधिकतर अपनी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं होते हैं।
- वे कनिष्ठ अधिकारियों को नामित करते हैं जिनके पास बैठकों के दौरान सार्थक निर्णय लेने के लिये अक्सर अधिकार क्षेत्र का अभाव होता है।

अपारदर्शी नियुक्तियाँ

- इन निकायों की सटीक संख्या ज्ञात नहीं है, अनुमानों के मुताबिक इनकी संख्या 400 से 650 के मध्य है।
- स्वायत्त निकाय काफी संख्या में लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लगभग 17,000 कर्मचारी हैं।
- हालाँकि, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विपरीत, जिनमें भर्ती नियम एक समान होते हैं और भर्ती एक केंद्रीकृत निकाय द्वारा की जाती है जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), ऐसी नियुक्तियों के लिये ऐसा कोई निकाय नहीं होता है।
- परिणामस्वरूप इन निकायों में से प्रत्येक निकाय की नियुक्ति के नियम एवं नियुक्ति प्रक्रियाएँ अलग-अलग होती हैं, कभी-कभी समान मंत्रालय के तहत अलग स्वायत्त निकायों के नियुक्ति के नियम अलग-अलग होते हैं।

परिकल्पित लक्ष्य की अवेहलना

- ये सभी बोर्ड अव्यवहारिक हो गए हैं और उन्होंने उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की है जिसके लिये उनकी कल्पना की गई थी।

- बोर्डों की प्रकृति केवल सलाहकार की थी और वे नीति-निर्माण को प्रभावित करने में विफल रहे, जबकि वे एक 'बिचौलिया संस्कृति' के उद्भव के साथ "राजनीतिक संरक्षण" के साधन बन गए, जिन्होंने बुनकरों के हितों की पूर्ति नहीं की।
- इन बोर्डों की संरचना में सरकार को सलाह देने के लिये बड़ी संख्या में गैर-आधिकारिक सदस्यों को जगह दी गई थी।

असमान ऑडिटिंग

- ऑडिट की कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है।
- कुछ स्वायत्त निकाय CAG द्वारा ऑडिट किये जाते हैं जबकि कुछ चार्टेर्ड एकाउंटेंट द्वारा किये जाते हैं।

आगे की राह

कानूनी ढाँचा

- एक कानूनी ढाँचा तैयार किया जाना चाहिये जो इनकी कार्य सीमाओं, इनकी स्वायत्तता और विभिन्न नीतियों को परिभाषित करे, जिनका पालन इन निकायों द्वारा किया जाना चाहिये।
- साथ ही यह स्वायत्त निकायों की संख्या पता करने में मदद करेगा।

व्यापक समीक्षा

- प्रत्येक मंत्रालय को अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।
- स्वायत्त निकायों, जिन्होंने उस कारण से अधिक कार्य किया है जिसके लिये उनकी स्थापना की गई थी, उन्हें बंद करने या किसी समान संगठन के साथ विलय करने की आवश्यकता हो सकती है या उनके अधिदेश को नये चार्टर के अनुसार बदल जा सकता है।

अखिल भारतीय नियुक्ति एजेंसी

- नीतियों में एकरूपता लाने के लिये, एसएससी या यूपीएससी जैसी अखिल भारतीय एजेंसी के तहत एक कार्यबल स्थापित करने की आवश्यकता है।
- यह नियुक्ति नियमों, वेतन संरचना और कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों और नियुक्ति प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगा।

समन्वित दृष्टिकोण

- मंत्रालय के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, समान स्वायत्त निकायों की समितियों की बैठकें एक साथ आयोजित की जानी चाहिये ताकि उपयुक्त अधिकारी सार्थक सुझाव प्रदान कर सकें।
- यह भी आरोप लगाया जाता है कि स्वायत्त निकायों द्वारा उठाए गये अधिकांश एजेंडा आइटम प्रकृति में नियमित हैं। इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिये, और इस तरह की बैठकों में केवल महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों जिनमें मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, को उठाया जाना चाहिये।

समान स्वतंत्र ऑडिटिंग

- स्वायत्त निकायों की ऑडिट एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिये।
- CAG ने वर्ष 2016 में स्वायत्त वैज्ञानिक निकायों का एक संपूर्ण प्रदर्शन ऑडिट किया था, जिसमें उनके प्रदर्शन में कमियों को उजागर किया गया था।
- इस तरह के विषय आधारित ऑडिट अन्य स्वायत्त निकायों के लिये भी किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष

- इन सभी वर्षों के दौरान, ये स्वायत्त निकाय एक आधिकारिक मंच बने हुए हैं, जहाँ विभिन्न हितधारकों की आवाज़ और विचारों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता है।
    - ये विविधता लाते हैं और अधिक समावेशी तरीके से सरकार की नीतियों को आकार दे सकते हैं।
- स्वायत्त निकायों की नीतियों में एकरूपता लाने, उनकी बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्वतंत्र ऑडिट करने की तत्काल आवश्यकता है।

भारत में प्रवासन और प्रवासियों पर लॉकडाउन का प्रभाव

संदर्भ

भारत ने 25 मार्च, 2020 से लॉकडाउन लगाया था। इस समय के दौरान, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति में योगदान नहीं देने वाली गतिविधियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर दिया गया था। यात्री ट्रेनों और उड़ानों को बंद कर दिया गया। लॉकडाउन ने प्रवासियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिनमें से कई उद्योगों के बंद होने के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं और अपने मूल स्थानों से बाहर फँसे हुए हैं जो वापस जाना चाहते हैं। तब से, सरकार ने प्रवासियों के लिये राहत उपायों की घोषणा की है और प्रवासियों को अपने मूल स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की है। सर्वोच्च न्यायालय ने, देश के विभिन्न हिस्सों में फँसे प्रवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा की गई परिवहन एवं राहत व्यवस्था की समीक्षा की।

9 जून को, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को शेष फँसे हुए प्रवासियों के लिये परिवहन व्यवस्था और प्रवासियों के लिये रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये राहत उपायों के विस्तार का निर्देश दिया।

प्रवासन का अवलोकन

अपने सामान्य स्थान से दूर आंतरिक (देश के भीतर) अथवा अंतर्राष्ट्रीय (विभिन्न देशों में) सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। प्रवासन पर नवीनतम सरकारी आँकड़े वर्ष 2011 की जनगणना में है। वर्ष 2001 में 31.5 करोड़ प्रवासियों की तुलना में (जनसंख्या का 31 %) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 45.6 करोड़ प्रवासी थे (जनसंख्या का 38%)। वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या में 18% की वृद्धि हुई जबकि प्रवासियों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई। वर्ष 2011 में, कुल प्रवासन का 99% हिस्सा आंतरिक प्रवासन का था एवं 1% अप्रवासियों (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों) का था।

प्रवासन के पैटर्न

आंतरिक प्रवासन को मूल एवं गंतव्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक प्रकार का वर्गीकरण है: i) ग्रामीण-ग्रामीण, ii) ग्रामीण-शहरी, iii) शहरी-ग्रामीण और iv) शहरी-शहरी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 21 करोड़ ग्रामीण-ग्रामीण प्रवासी थे जो आंतरिक प्रवासन का 54% था (जनगणना में 5.3 करोड़ लोगों को ग्रामीण या शहरी मूल क्षेत्रों से होने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था)। ग्रामीण-शहरी और शहरी-शहरी प्रवासन, प्रत्येक में लगभग 8 करोड़ प्रवासी थे। लगभग 3 करोड़ शहरी-ग्रामीण प्रवासी (आंतरिक प्रवासन का 7%) थे।

प्रवासन को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका है: (i) अंतर-राज्य, और (ii) आंतरिक-राज्य। वर्ष 2011 में, अंतर-राज्य प्रवासन कुल आंतरिक प्रवासन का लगभग 88% हिस्सा (39.6 करोड़ व्यक्ति) था।

अंतर-राज्य प्रवासन के संदर्भ में राज्यों में भिन्नता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 5.4 करोड़ अंतर-राज्य प्रवासी थे। वर्ष 2011 तक, उत्तर प्रदेश और बिहार अंतर-राज्य प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत थे, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली प्रवासियों के सबसे बड़े अभिग्राही राज्य थे। उत्तर प्रदेश के लगभग 83 लाख एवं बिहार के 63 लाख निवासी या तो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गये थे। संपूर्ण भारत के लगभग 60 लाख लोग वर्ष 2011 तक महाराष्ट्र में चले गए थे।

नोट: एक नेट आउट-माइग्रेंट राज्य वह राज्य होता है जहाँ राज्य में प्रवासन करने से अधिक लोग राज्य के बाहर पलायन करते हैं। बाहर जाने वाले प्रवासियों की तुलना में आने वाले प्रवासियों की संख्या अधिक होने पर नेट इन-माइग्रेशन होता है।

आंतरिक प्रवासन के कारण एवं प्रवासी श्रमिक बल की संख्या

वर्ष 2011 तक, अधिकांश अंतर-राज्य प्रवास (70%) विवाह एवं परिवार के कारणों से था, जिसमें पुरुष और महिला प्रवासियों के बीच भिन्नता थी। 83% महिलाओं ने विवाह और परिवार के कारण प्रवासन किया वहीं पुरुषों के संगत प्रवासन का आँकड़ा 39% था। कुल 8% लोगों ने रोज़गार के लिये राज्य के अंदर पलायन किया (21% पुरुष प्रवासी और 2% महिला प्रवासी)।

अंतर-राज्य प्रवासियों में रोज़गार के लिये प्रवासन अधिक था- 50% पुरुष और 5% महिला अंतर-राज्य प्रवासी थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक थे। हालाँकि, प्रवासन पर कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना में प्रवासी श्रमिक आबादी को कम आँका गया है। महिला प्रवासन में परिवार को प्राथमिक कारण के रूप में दर्ज किया गया है। हालाँकि, कई महिलाएँ प्रवासन के बाद रोज़गार की गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं जो काम से संबंधित कारणों से प्रवासित महिलाओं की संख्या में दर्ज नहीं होता है।

नोट :

आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17 के अनुसार, जनगणना के आँकड़े अस्थायी प्रवासी श्रमिक प्रवासन को भी कम आँकते हैं। वर्ष 2007-08 में, NSSO ने भारत के प्रवासी श्रम का आकार सात करोड़ (कार्यबल का 29%) अनुमानित किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य छह करोड़ अंतर-राज्य श्रम प्रवासियों का अनुमान लगाया। आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी अनुमान लगाया कि वर्ष 2011-2016 के मध्य प्रत्येक वर्ष, औसतन 90 लाख लोगों ने काम के लिये यात्रा की।

प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे

संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (घ), सभी भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, जो आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। हालाँकि, काम के लिये पलायन करने वाले लोग प्रमुख चुनौतियों का सामना करते हैं जिनमें शामिल हैं: i) सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ का अभाव और न्यूनतम सुरक्षा मानकों के कानून का खराब कार्यान्वयन, ii) राज्य द्वारा प्रदान किये गये लाभों विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से प्रदान किये जाने वाली खाद्य सामग्री के लिये सुवाह्यता की कमी और iii) शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच का अभाव।

अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 (आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम) के तहत संरक्षण का खराब कार्यान्वयन

आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिये कुछ संरक्षणों का प्रावधान करता है। प्रवासियों को नियुक्त करने वाले श्रम ठेकेदारों को आवश्यक है: (i) लाइसेंस प्राप्त करना, (ii) प्रवासी श्रमिकों को सरकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करना और (iii) श्रमिक को उनकी पहचान करने के लिये पासबुक जारी करने की व्यवस्था करना। ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली मज़दूरी और सुरक्षा (आवास, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सुरक्षात्मक वस्त्र सहित) से संबंधित दिशा निर्देश भी कानून में उल्लिखित हैं।

दिसंबर 2011 में, श्रमिकों पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में पाया गया कि आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत श्रमिकों का पंजीकरण कम था और अधिनियम में उल्लिखित संरक्षण का कार्यान्वयन खराब था। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई ठोस और सार्थक प्रयास नहीं किया है कि ठेकेदार और नियोक्ता अनिवार्य रूप से उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों को अधिनियम के तहत लाभ तक पहुँच बनाने के लिये पंजीकृत करें।

लाभ की सुवाह्यता का अभाव

एक स्थान पर लाभ तक पहुँच प्राप्त करने वाले पंजीकृत प्रवासी एक अलग स्थान पर प्रवास करके इस पहुँच को खो देते हैं। पीडीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये आवश्यक राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है और राज्यों में सुवाह्य नहीं होता है। यह प्रणाली पीडीएस से अंतर-राज्य प्रवासियों को बाहर कर देती है जब तक कि वे गृह राज्य को अपना कार्ड वापस नहीं करते हैं और मेजबान राज्य से एक नया कार्ड प्राप्त नहीं करते हैं।

शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास और बुनियादी सुविधाओं का अभाव

शहरी आबादी में प्रवासियों का अनुपात 47% है । वर्ष 2015 में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की बड़ी संख्या में पहचान की जिन्हें शहरों में आवास आवश्यकता थी। कम आय वालों के लिये आवास स्वामित्व और किराये के आवास विकल्पों की अपर्याप्त आपूर्ति है। इससे अनौपचारिक बस्तियों और मलिन बस्तियों का प्रसार होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और कम आय वाले वर्गों की आवास तक पहुँच बनाने के लिये केंद्र सरकार की एक सहायता योजना है। इस योजना के तहत सहायता में शामिल हैं: i) मलिन बस्ती पुनर्वास, ii) आवास के लिये रियायती ऋण, iii) नए घर बनाने या अपने घर को विस्तृत करने के लिये 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी iv) निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के द्वारा किफायती आवास इकाइयों की उपलब्धता में वृद्धि । चूँकि आवास राज्य सूची का विषय है, इसलिये किफायती आवास की ओर राज्यों के दृष्टिकोण में भिन्नता है।

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

लॉकडाउन के दौरान, कई अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों ने अपने गृह राज्य में लौटने की कोशिश की। सार्वजनिक परिवहन के बंद होने के कारण, प्रवासियों ने पैदल ही अपने गृह राज्यों की ओर चलना शुरू कर दिया। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य समन्वय के अनुसार

बसों और श्रमिक विशेष ट्रेनों की अनुमति दी गई थी। 1 मई से 3 जून के बीच, 58 लाख से अधिक प्रवासियों को विशेष रूप से संचालित ट्रेनों के माध्यम से और 41 लाख लोगों सड़क परिवहन द्वारा भेजा गया था। प्रवासियों की सहायता के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों में शामिल हैं-

परिवहन: 28 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रवासियों को आवास प्रदान करने के लिये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने के लिये अधिकृत किया। राज्यों को सलाह दी गई कि वे चिकित्सा सुविधाओं के साथ राजमार्गों पर राहत शिविर स्थापित करें और जब तक लॉकडाउन स्थिति बनी रहे तब तक इन शिविरों में लोगों का ठहराना सुनिश्चित करें।

29 अप्रैल को जारी एक आदेश में, गृह मंत्रालय ने राज्यों को बसों का उपयोग कर प्रवासियों को परिवहन के लिये व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने की अनुमति दी। 1 मई को, भारतीय रेल ने अपने गृह राज्य के बाहर फँसे प्रवासियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिये श्रमिक विशेष ट्रेनों के साथ (22 मार्च के बाद पहली बार) यात्री परिवहन पुन: शुरू किया। 1 मई से 3 जून के मध्य, भारतीय रेल ने 58 लाख से अधिक प्रवासियों के परिवहन के लिये 4,197 श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया। शीर्ष राज्य जहाँ से श्रमिक ट्रेन शुरू हुईं, वे गुजरात और महाराष्ट्र हैं और जिन राज्यों में ट्रेनें समाप्त हुई हैं, वे उत्तर प्रदेश और बिहार हैं।

खाद्य वितरण: 1 अप्रैल को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था के साथ प्रवासी श्रमिकों के लिये राहत शिविर संचालित करने का निर्देश दिया। 14 मई को, आत्मनिर्भर भारत अभियान की दूसरी श्रृंखला के तहत, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उन प्रवासी श्रमिकों को दो महीने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस उपाय से आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पीडीएस के तहत सुवाह्यता का लाभ प्रदान करने के लिये मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। यह भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन तक पहुँच प्रदान करेगा।

आवास: पीएमएवाई के तहत किफायती किराये की आवास इकाइयाँ उपलब्ध कराने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान ने प्रवासी श्रमिकों एवं शहरी गरीबों के लिये किफायती किराए के आवास परिसरों के लिये एक योजना शुरू की। योजना में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन (JNNURM) के तहत मौजूदा आवास स्टॉक का उपयोग करने का प्रस्ताव है, साथ ही सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को किराए के लिये नई सस्ती इकाइयों के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा, मध्य आय वर्ग के लिये पीएमएवाई के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिये अतिरिक्त धन आवंटित किया गया है।

वित्तीय सहायता: कुछ राज्य सरकारों (जैसे बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश) ने प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिये एकमुश्त नकद हस्तांतरण की घोषणा की। उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रवासियों के लिये 1,000 रुपए का गुजारा भत्ते का प्रावधान करने की घोषणा की जिन्हें क्वारंटाइन होने की आवश्यकता थी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फँसे प्रवासी मज़दूरों की स्थिति की समीक्षा की और स्थिति की प्रतिक्रिया में अपर्याप्तता और सरकारी की खामियों को देखा।
- 26 मई को,सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया कि वे प्रवासी मज़दूरों के लिये संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए सभी उपायों के बारे में विस्तार से जवाब प्रस्तुत करें।
- 28 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों को राहत सुनिश्चित करने के लिये केंद्र और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को अंतरिम दिशा-निर्देश प्रदान किये: i) प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिये, ii) फँसे हुए प्रवासियों को संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिये और इस जानकारी को प्रचारित किया जाना चाहिये, iii) राज्यों को परिवहन के लिये प्रवासियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और तीव्र करना चाहिये और जो पंजीकृत हैं उन्हें जल्द से जल्द परिवहन प्रदान किया जाना चाहिये और iv) प्रवासन अभिग्राही राज्य को अंतिम मील परिवहन, हेल्थ स्क्रीनिंग एवं अन्य सुविधाएँ मुफ्त प्रदान करनी चाहिये।

आर्थिक घटनाक्रम

GST क्षतिपूर्ति के मुद्दे

संदर्भ

भारत देश की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST के लागू होने के 3 वर्ष के बाद ही देश के सामने महामारी संकट के चलते स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। GST से मिलने वाला लाभ अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण तेज़ी से कम होना शुरू हो गया है क्योंकि COVID-19 लॉकडाउन ने राजस्व गणनाओं को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया है। GST के अंतर्गत कर संग्रह में भारी कमी आने के कारण राज्य सरकारों को राजस्व हानि हुई है क्योंकि केंद्र ने राज्यों को GST अधिनियम 2017 (GST Act 2017) के अंतर्गत वादे के अनुसार क्षतिपूर्ति करने में असमर्थता दिखाई है।

वस्तु एवं बिक्री कर (GST)

- GST के रूप में देश को एक ऐसी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्राप्त हुई है, जो न केवल संपूर्ण भारत को एकल बाज़ार के रूप में प्रस्तुत करती है बल्कि समानता भी प्रदान करती है।
- GST के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया हैं वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी इसमें सम्मिलित किये गए हैं।
- देश में मौजूदा कर व्यवस्था दो प्रकार की है- पहला प्रत्यक्ष कर व्यवस्था, जिसके तहत आयकर, निगमकर एवं संपत्ति कर आदि आते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष कर जिसमें सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर इत्यादि शामिल हैं और वर्तमान में लगभग सभी को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अतंर्गत शामिल कर लिया गया है।
- यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार है, जिसे 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। "वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स" की अवधारणा पर आधारित यह गंतव्य आधारित कर प्रणाली है।

GST मुआवज़ा

- GST लागू होने के बाद अधिकांश करों के रूप में राज्यों के पास बहुत सीमित कर अधिकार हैं क्योंकि पेट्रोलियम, शराब और स्टांप ड्यूटी पर रोक लगा दी गई थी जिन्हें GST के अंतर्गत शामिल किया गया था।
- GST (राज्यों के लिये मुआवजा) अधिनियम, 2017 [GST (Compensation to States) Act, 2017] के अंतर्गत राज्यों को पाँच वर्षों (2017-2022) की अवधि के लिये GST के कार्यान्वियन के कारण हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है।
- मुआवज़े की गणना राज्यों के वर्तमान GST राजस्व और 2015-16 को आधार वर्ष मानकर 14% वार्षिक वृद्धि दर के आकलन के बाद संरक्षित राजस्व के बीच अंतर के आधार पर की जाती है।

GST के मुआवज़े के पीछे के तर्क

- सर्वप्रथम GST से पिछले कर शासन के समान अधिक राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान व्यक्त किया गया था।
- हालाँकि नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है न कि विनिर्माण पर।
- इसका अर्थ यह है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा, जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माण क्षेत्र कर संग्रहण से वंचित रह जाएंगे, यही कारण है कि कई राज्यों ने GST के विचार का कड़ा विरोध किया।

नोट :

मुद्दे

- हाल ही में हुई GST परिषद की 41वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्यों को मुआवजा नहीं दे सकेगा।
- केंद्र सरकार इस बात पर विशेष बल दे रही है कि इस वर्ष COVID-19 महामारी के कारण GST संग्रहण में तेज़ी से कमी आई है।
- इस वर्ष GST मुआवज़े के लिये अनुमानत: लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि उपकर संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार 2.35 लाख करोड़ रुप के अनुमानित मुआवज़े की कमी है।

केंद्र की सिफारिशें

- राज्यों को इस स्थिति के उपाय के तौर पर दो विकल्प दिये गए हैं और दोनों में बाज़ार से उधार लेने की आवश्यकता है।
- केंद्र का तर्क है कि GST के कार्यान्वयन में केवल 97,000 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी है जबकि 1.38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 'एक्ट ऑफ गॉड' (COVID-19 महामारी) द्वारा उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ है।
- राज्य या तो 97,000 करोड़ रुपए का उधार ले सकते हैं, इसे अपने ऋण और मूलधन और भविष्य में उपकर संग्रह से ब्याज के भुगतान को जोड़े बिना ऐसा किया जा सकता है या पूर्ण 2.35 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में उन्हें ब्याज का भुगतान स्वयं करना पड़ेगा।
- वित्त मंत्रालय ने तर्क दिया है कि केंद्र द्वारा अधिक उधार लेने से ब्याज दरों में वृद्धि होगी और भारत के राजकोषीय मापदंडों को पूरा किया जा सकेगा।

राज्यों का प्रतिरोध

- केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और दिल्ली जैसे पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन प्रस्तावों पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
- उनका कहना है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में है, जिसके परिणामस्वरूप वेतन-भुगतान में देरी और महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच पूंजीगत व्यय में भारी कटौती हुई है।
- चूँकि देश के सभी राज्य इस समय वायरस से जूझ रहे हैं इसलिये उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर खर्च करने के लिये भी वित्त की आवश्यकता है।
- इन परिस्थितियों के आलोक में कई राज्यों ने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है और केंद्र से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
- वास्तव में केंद्र ने सितंबर 2019 में गोवा में आयोजित GST परिषद की 37वीं बैठक में मुआवज़े के भुगतान पर दर्ज की गई समस्याओं को स्वीकार किया था।

आगे की राह

- महामारी के इस दौर में समय यही है कि राज्य वास्तविकता को स्वीकार करें और मुआवज़े के निम्न स्तर पर सहमति व्यक्त करें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। राज्य महामारी की इस स्थिति में स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार को वित्तीय बाज़ारों या सीधे RBI से अधिक उधार लेकर GST गतिरोध को समाप्त करने पर ध्यान देना चाहिये।
- केंद्र को यह समझना चाहिये कि यह उसका वैधानिक दायित्व है और वे इससे इनकार नहीं कर सकते हैं।
- राज्यों को केंद्र द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि अधिक यथार्थवादी मुआवज़े के लिये समझौता करके जल्द ही कोई समाधान निकाला जा सके।

निष्कर्ष

- इस विषय में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि महज़ GST के रूप में देश का भव्य संघीय ढाँचा इस सीमा तक कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिये कि राष्ट्रीय कर का विचार ही खतरे में आ जाए।
- केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न हुए इस गतिरोध के कारण GST सुधारों के अनुपालन में कमी नहीं आनी चाहिये।
- इस समय केंद्र और राज्य दोनों को आपसी हित में सहयोग और समन्वय बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिये।

जीएसटी मुआवज़े की लागत

संदर्भ

केंद्र सरकार को राज्यों को जीएसटी के कारण होने वाले राजस्व के किसी भी नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता है। केंद्र को यह मुआवज़ा द्वि-मासिक आधार पर देना होगा, लेकिन पिछले एक वर्ष में राजस्व की कमी के कारण इन भुगतानों में कई महीनों की देरी हुई है। COVID-19 महामारी और इसके कारण हुए लॉकडाउन ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है, केंद्र और राज्यों दोनों को ही राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है जो केंद्र की राज्यों की मुआवज़ा ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को सीमित कर रहा है।

केंद्र को राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा देना आवश्यक क्यों है?

- वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के साथ, कई वस्तुओं और सेवाओं के लिये अप्रत्यक्ष कराधान का सिद्धांत मूल-आधार से गंतव्य-आधारित में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मूल राज्यों (जहाँ वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है) से गंतव्य राज्यों (जहाँ इसकी खपत होती है) को स्थानांतरित कर दिया गया। इस परिवर्तन ने कुछ राज्यों के लिये राजस्व अनिश्चितता का जोखिम उत्पन्न कर दिया। राज्यों की इस चिंता को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संबोधित किया गया था, जिससे जीएसटी के कारण राज्यों को किसी भी राजस्व हानि से बचने के लिये पाँच साल के लिये संसद को मुआवज़े के लिये कानून बनाना आवश्यक कर दिया।
- इस उद्देश्य के लिये, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर वर्ष 2017 में जीएसटी (राज्यों को मुआवज़ा) अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम जुलाई 2017- जून 2022 की अवधि के दौरान सभी राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में 14% की वार्षिक वृद्धि दर की गारंटी प्रदान करता है। यदि राज्य के जीएसटी राजस्व में 14% से कम वृद्धि होती है, तो इस 'राजस्व की क्षति' पर राज्य को जीएसटी मुआवज़ा अनुदान प्रदान करके केंद्र द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा। । इन अनुदानों को प्रदान करने के लिये केंद्र, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, कैफीनयुक्त पेय, कोयला एवं कुछ यात्री वाहनों जैसी कुछ लक्जरी वस्तुओं पर जीएसटी मुआवज़ा उपकर लगाता है। अधिनियम में केंद्र को इस उपकर राजस्व को एक अलग क्षतिपूर्ति निधि में जमा करना आवश्यक किया गया है और राज्यों को सभी क्षतिपूर्ति अनुदान इस निधि में उपलब्ध धन से भुगतान करने को आवश्यक किया गया है।

राज्यों को कितना मुआवज़ा प्रदान किया जाता है?

- वर्ष 2018-19 में केंद्र ने जीएसटी मुआवज़े के रूप में राज्यों को 81,141 करोड़ रुपए प्रदान किये। हालाँकि, वर्ष 2019-20 में राज्यों को मुआवज़ा दिये जाने की आवश्यकता लगभग दोगुनी होकर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गई। राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा दिये जाने की आवश्यकता में भारी वृद्धि का अर्थ है कि राज्यों का जीएसटी राजस्व वर्ष 2019-20 के दौरान मंद दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की आर्थिक मंदी को इसके लिये ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 7.2% की नाम मात्र जीडीपी वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2019-20 में केंद्रीय बजट (चित्र 1) के 12% जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान की तुलना में काफी कम था।
- वर्ष 2019-20 में, पिछले वर्ष की तुलना में सकल जीएसटी राजस्व (केंद्र + राज्यों) में केवल 4% की वृद्धि हुई। इसके बावज़ूद, मुआवज़े की गारंटी के कारण, सभी राज्य अपने जीएसटी राजस्व में 14% की वृद्धि दर प्राप्त कर सकते थे जो कि जीएसटी राजस्व में समग्र वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। हालाँकि, केंद्र से मुआवज़े के भुगतान में देरी हुई। वर्ष 2019-20 में राज्यों को दिये जाने वाले मुआवज़े के 64,000 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिये गये थे।

राज्यों को मुआवज़े के भुगतान में देरी के कारण क्या था?

- वर्ष 2019-20 में, राज्यों को मुआवज़ा भुगतान करने में देरी का कारण केंद्र के पास अपर्याप्त वित्त के रूप में देखा गया था। कुछ सामानों की बिक्री पर मुआवज़ा उपकर लगाकर यह वित्त जुटाया जाता है, जिनमें से कुछ आर्थिक मंदी से प्रभावित थे। उदाहरण के लिये वर्ष 2019-20 में, पिछले वर्ष की तुलना में यात्री वाहनों की बिक्री में लगभग 18% और घरेलू कोयला कंपनियों के कोयले की खपत में लगभग 5% की कमी आई है। परिणामस्वरूप राज्यों के मुआवज़े की आवश्यकता में 104% की वृद्धि देखी गई जबकि उपकर संग्रहण (चित्र 2) में वर्ष 2019-20 में केवल 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे लगभग 70,000 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी हुई।

नोट: वर्ष 2017-18 में, जीएसटी को केवल नौ महीनों के लिये लागू किया गया था। ऐसा हो सकता है कि दर्शाई गई मुआवज़ा राशि उस वित्तीय वर्ष में जारी की गई राशि के साथ मेल नहीं खाती हो क्योंकि इसे जारी करने में विलंब हुआ था।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; वित्त मत्रांलय; जीएसटी परिषद; लोकसभा प्रश्न; पीआरएस।

यदि उपकर संग्रहण अपर्याप्त है, तो राज्यों को मुआवज़े का भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?

- वर्ष 2019-20 में संग्रहण में कमी को (i) पिछले वर्षों के अधिशेष उपकर संग्रह, (ii) वर्ष 2020-21 के आंशिक उपकर संग्रह, और (iii) केंद्र से असमायोजित जीएसटी निधियों का 33,412 करोड़ रुपए का हस्तांतरण मुआवज़ा राशि के माध्यम से पूरा किया गया था। ये असमायोजित निधियाँ वह जीएसटी संग्रहण है, जो वर्ष 2017-18 में अंतर-राज्य एवं विदेशी व्यापार से जुटाया गया है, जो अभी तक केंद्र और राज्यों के मध्य समायोजित नहीं हुआ है।
- वर्ष 2020-21 के बजट में, केंद्र ने नाममात्र जीडीपी में 10% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालाँकि, COVID-19 और लॉकडाउन के प्रभाव के कारण, वर्ष 2020-21 में वास्तविक वृद्धि बहुत कम होने की संभावना है। ऐसे परिदृश्य में, राज्यों का जीएसटी राजस्व भी अपेक्षा से बहुत कम होगा, इस प्रकार एक उच्च मुआवज़े की आवश्यकता होगी। हालाँकि, मुआवज़ा देने की केंद्र की क्षमता उपकर संग्रहण पर निर्भर करती है, जो इस वर्ष भी प्रभावित हो रही है। उदाहरण के लिये, अप्रैल-जून 2020 की अवधि के दौरान उपकर संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41% कम रहा है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 14,482 करोड़ रुपए के संग्रहण में से 8,680 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के मुआवज़े के भुगतान के लिये उपयोग किये गये हैं।
- इस बात पर ध्यान दें कि जीएसटी (राज्यों के लिये मुआवज़ा) अधिनियम, 2017 के तहत, केंद्र केवल मुआवज़ा कोष में उपलब्ध राजस्व के माध्यम से राज्यों को मुआवज़ा प्रदान कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने फरवरी 2020 में अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि राजस्व स्थानांतरण केवल जीएसटी मुआवज़ा उपकर के संग्रहण तक सीमित होगा। मुआवज़ा निधि में राजस्व की कमी के बावजूद, केंद्र संवैधानिक रूप से पाँच वर्षों की अवधि के लिये राज्यों की मुआवज़ा आवश्यकता को पूरा करने के लिये बाध्य है।
- राजस्व में कमी के मुद्दे को संबोधित करने के लिये विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं, या तो राज्यों को देय मुआवज़े को कम करके (जिसके लिये संसद को जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद बने अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी) या राज्यों को मुआवज़ा प्रदान करने के लिये केंद्र के पास उपलब्ध राजस्व द्वारा पूर्ति करके। अधिनियम जीएसटी परिषद को अन्यवित्तपोषण तंत्र/राशियों की सिफारिश करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिये, कमी को पूरा करने के लिये प्रस्तावित उपायों में से एक राज्यों को मुआवज़े का भुगतान करने के लिये केंद्र द्वारा बाजार उधार का उपयोग करना शामिल है, इस विचार के साथ कि इन उधारों को भविष्य के उपकर संग्रहण की मदद से चुकाया जाएगा। इसे सक्षम करने के लिये, जीएसटी परिषद केंद्र को सिफारिश कर सकती है कि मुआवज़ा उपकर पाँच वर्ष से आगे की अवधि अर्थात् जून 2022 के बाद भी लगाया जाएगा।

राज्यों पर वर्ष 2022 के बाद प्रभाव

- वर्ष 2019-20 में, कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर, अधिकांश राज्यों की पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में उनकी मुआवज़ा आवश्यकताओं में 2-3 गुना वृद्धि हुई है। तालिका 1 वर्ष 2018-19 और 2019-20 में राज्यों की मुआवज़ा आवश्यकता को दर्शाती है। छह राज्यों (दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु) में वर्ष 2019-20 में मुआवज़े की कुल आवश्यकता का 52% हिस्सा था। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों जैसे पंजाब और दिल्ली का, मुआवज़ा अनुदान समग्र राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है (20% और 16% क्रमशः)।
- इस बात पर ध्यान दें कि राज्यों को केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये मुआवज़े की गारंटी दी गई है। जून 2022 के बाद, मुआवज़े पर निर्भर राज्यों को केंद्र से आने वाले इन अनुदानों में कटौती के कारण एक राजस्व अंतर दिखाई देगा। राज्यों को राजस्व में संभावित नुकसान से बचने के लिये अन्य कर और गैर-कर स्रोतों के साथ इस अंतर को भरने के लिये लगभग दो वर्ष हैं, और इसके परिणामस्वरूप राज्य बजट में गिरावट आती है, जो अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। जीएसटी परिषद द्वारा तय की गई कार्रवाई के आधार पर इस तरह की चिंताओं को किस हद तक दूर किया जा सकता है, यह देखा जाना बाकी है।

तालिका 1: वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में राज्यों की जीएसटी मुआवज़ा आवश्यकता (रु. करोड़ में)

राज्य	2018-19		2019-20		मुआवज़े की आवश्यकता में % वृद्धि
	राशि	राजस्व के % के रूप में	राशि	राजस्व के % के रूप में*	
आंध्र प्रदेश	0	-	3,028	3%	-
असम	455	1%	1,284	1%	182%
बिहार	2,798	2%	5,464	4%	95%
छत्तीसगढ़	2,592	4%	4,521	7%	74%
दिल्ली	5,185	12%	8,424	16%	62%
गोवा	502	5%	1,093	9%	118%
गुजरात	7,227	5%	14,801	10%	105%
हरियाणा	3,916	6%	6,617	10%	69%
हिमाचल प्रदेश	1,935	6%	2,477	8%	28%
जम्मू एवं कश्मीर	1,667	3%	3,281	5%	97%
झारखंड	1,098	2%	2,219	4%	102%
कर्नाटक	12,465	8%	18,628	11%	49%
केरल	3,532	4%	8,111	9%	130%
मध्य प्रदेश	3,302	3%	6,538	4%	98%
महाराष्ट्र	9,363	3%	19,233	7%	105%
मेघालय	66	1%	157	2%	138%
ओडिशा	3,785	4%	5,122	5%	35%
पंजाब	8,239	13%	12,187	20%	48%
राजस्थान	2,280	2%	6,710	5%	194%
तमिलनाडु	4,824	3%	12,305	7%	155%
तेलंगाना	0	-	3,054	3%	-
त्रिपुरा	172	1%	293	3%	70%
उत्तरप्रदेश	0	-	9,123	3%	-
उत्तराखंड	2,442	8%	3,375	11%	38%
पश्चिम बंगाल	2,615	2%	6,200	4%	137%

नोट: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में कोई मुआवज़े की आवश्यकता नहीं हुई।

*वर्ष 2019-20 के लिये राजस्व परिषद उन जीएसटी मुआवज़े अनुदानों को ध्यान में नहीं रखती है जो वर्ष 2019-20 में राज्यों को देय थे लेकिन वर्ष 2020-21 में केंद्र द्वारा जारी किये गए थे। यदि वर्ष 2019-20 के राजस्व में ऐसे अनुदान शामिल किये जाते हैं तो प्रतिशत आँकड़े कुछ कम होंगे।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद की आवश्यकता

संदर्भ

21वीं शताब्दी को चीन और भारत की सदी के रूप में समाहित किया गया है। हालाँकि दोनों देशों के राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीयता के पालन के साथ संघर्ष में बदल दी जाती है। इसके अलावा हाल ही में हुआ गलवान घाटी संघर्ष या निर्माणाधीन चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है) में चीन की आक्रामक रणनीति भारत के लिये एक प्रमुख नीतिगत चुनौती रही है। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के सामने अब एक बड़ी चुनौती यह है कि उसे स्वयं के उदय को सुनिश्चित करते हुए अधिक शक्तिशाली पड़ोसी का प्रबंधन करना है। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीयता हमेशा भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है, चीन के संबंध में अधिक यथार्थवादी विदेश नीति की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद की आवश्यकता

- लूप-साइडेड आर्थिक व्यापार: भारत में चीन के साथ अधिक व्यापार करने की वकालत ने अब इसकी एकतरफा स्थिति को मज़बूत करने का मार्ग प्रशस्त किया है।.
  - व्यापार घाटे में अधिकता के कारण भारत ने चीनी वस्तुओं पर निर्भरता विकसित की है।
  - इस तथ्य को देखते हुए भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से हाथ खींच लिया क्योंकि भारत के राष्ट्रीय वाणिज्यिक हितों और चीन के नेतृत्त्व वाले एशियाई आर्थिक क्षेत्रवाद के बीच विरोधाभास था।
- चीन का विस्तारवाद: चीन अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिये एक 'अतार्किक शक्ति' या 'विस्तारवादी शक्ति' की तरह व्यवहार कर रहा है।
  - चीन लंबे समय से भारतीय सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी खंड के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिये इच्छुक है।
  - BRI परियोजना के माध्यम से चीन का उद्देश्य अपने पड़ोस और संपूर्ण एशिया, यूरोप में भू-रणनीतिक रूप से हावी होना है।
- चीन का बढ़ता प्रभाव: शीत युद्ध के बाद भारत ने एशियनिज्म को फिर से अपनाया जब उसने लुक ईस्ट नीति (Look East Policy) का समर्थन किया और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (Association of South-East Asian Nations) के नेतृत्त्व में एशियाई क्षेत्रीय संस्थानों में शामिल हो गया।
  - पूर्वी एशिया में आर्थिक क्षेत्रवाद की खोज और वैश्विक बहु-ध्रुवीयता के ज़ोर ने चीन के तेजी से आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को गंभीर रूप से कम करके आँका था।
  - चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल (Strings of pearls) और CPEC के माध्यम से भारत पर दबाव बना रहा है।
- वैश्विक संस्थानों की प्रभावहीनता: अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की चाह रखने वाले वैश्विक संस्थानों के निर्माण में उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को अब बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरुप ब्रेक्जिट और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रणनीतिक समन्वय में गिरावट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

भारत की यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय नीति

यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय नीति के चीन के संदर्भ में यह अर्थ होगा कि भारत को चीन के उदय और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के अंतराल के उद्देश्य आकलन करना चाहिये। इसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय स्थापना की परिकल्पना भी की जानी चाहिये ताकि शक्ति और क्षेत्रीय शांति के मध्य साम्यता बनाई जा सके। इसके अनुसरण में भारत विदेश नीति की पहल पर ध्यान केंद्रित कर सकता है:

- पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाना: भारत पहले से ही U.S. का "नजदीक सहयोगी" रहा है और कई यूरोपीय देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंध हैं।

- चीन को हिंद महासागर तक पहुँचने से रोकने के लिए भारत को हर संभव कोशिश करनी चाहिये।
- भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के बीच सामरिक अभिसरण की आवश्यकता है ताकि इंडो-पैसिफिक रणनीति तैयार की जा सके और चीन की सैन्य और आर्थिक शक्ति को संतुलित किया जा सके।
  - चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue- Quad) को भी समान विचारधारा वाले देशों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- इसके अलावा G-7 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विस्तार और भारत को शामिल करने का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मामलों में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होगा।

- हार्ड पावर को मज़बूत बनाना: माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स डिवीजनों को मज़बूत करने और एक थिएटर कमांड स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- राजनयिक आक्रामक रवैया अपनाना: भारत को चीन की आक्रामक नीतियों और रणनीति के विपरीत अपने शांतिपूर्ण इरादों को उजागर करने की आवश्यकता है।
  - भारत द्वारा अपनाये गये तकनीकी सहायता कार्यक्रम न केवल भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच एक स्थायी संबंध प्रदान करते हैं इसके अतिरिक्त ये चीनी सहायता से भी निरपेक्ष हैं।
- पड़ोस पहले की नीति: भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम जैसे सहयोगियों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, जो पश्चिम के साथ संबंधों को मज़बूत करने के पक्षधर नहीं है।
  - एशिया के छोटे देश जो लगातार अपने आंतरिक मामलों में चीन के आक्रामक हस्तक्षेप का सामना करते हैं, उन्हें भारत से अधिक समर्थन नहीं मिला है और इसके लिए उन्हें भारत का अधिक सहयोग मिलना चाहिये।
- आत्मनिर्भर बनना: भारत को अधिक भुगतान करने वाली नौकरियों, प्रौद्योगिकी और तकनीकी के साथ ही निर्यात और निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। जिससे भारत को चीनी आयात से अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- अगर अभी तक हुई प्रगति को खतरे में नहीं डालना है तो सीमा पर शांति कायम होना चाहिये। सीमा और संबंधों के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता है इस प्रकार चीनी शक्ति से निपटने के लिए भारत को अधिक अंतर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। लेकिन यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीयतावाद होना चाहिये जो यथार्थवाद में निहित हो और भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर आधारित हो।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत: विश्व का तकनीकी गैराज

संदर्भ

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मज़बूत एवं निरंतर विकास और नवाचार भारत के लिये स्वयं को 'टेक गैरेज ऑफ द वर्ल्ड' यानी एक तकनीकी पॉवरहाउस के रूप में स्थापित करने का अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। नवीन डिजिटल और प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास के माध्यम से, भारत कई क्षेत्रों में व्यापक एवं दु:साध्य चुनौतियों का समाधान सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है।

अवसर

COVID -19 महामारी से अप्रभावित

- विश्व अभी भी COVID -19 महामारी से जूझ रहा है, फिर भी भारत के तकनीकी उद्योग प्रदर्शनीय स्तर पर हैं, जिसमें 38 बिलियन डॉलर का विशालकाय निवेश है।
- इन निवेशों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सॉफ्टवेयर आधारित कंपनियों में गया है, जिसमें वर्तमान संकट के मध्य डिजिटल उपकरणों और स्वचालन के लिये बढ़ती माँग के कारण एक बड़ी वृद्धि देखी गई है।

बढ़ता हुआ बाज़ार

- हाल ही में विकसित और विस्तारित हुई विश्व की 10 सबसे अमीर कंपनियों में से आठ प्रौद्योगिकी कंपनियाँ थीं।
- लिंक्डइन की वैश्विक स्तर पर उभरती नौकरियों की सूची में सबसे तेज़ी से बढ़ती नौकरियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ एवं डेटा वैज्ञानिक से संबंधित हैं।
- COVID-19 महामारी के दौरान भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक और गूगल की बाज़ार पूंजी 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गई।

औद्योगिक तंत्र

- भारत जनसांख्यिकीय लाभांश एवं एक जीवंत स्टार्टअप तंत्र के साथ विश्व का सर्वाधिक युवा प्रधान देश है।
- केवल वर्ष 2019 में, 1,300 से अधिक स्टार्टअप जोड़े गये हैं, जिससे भारत की स्थिति विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप तंत्र के रूप में मज़बूत हुई है।
- वर्ष 2019 में निजी इक्विटी निवेश ने 10-साल के उच्चतम स्तर पर रहा है, इसने 17.3 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है और 60.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।

इस संदर्भ में की गईं पहलें

- प्रधानमंत्री ने हाल ही में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में तकनीकी उत्पादों को विकसित करने का काम नीति आयोग को सौंपा है, जो भारत को COVID-19 के बाद वाले दौर में जाने में सक्षम करेगा, यह वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- नीति आयोग द्वारा की गई पहलों एवं समाधानों में शामिल हैं:
  - उन्नति: यह एक प्रौद्योगिकी मंच है जो ब्लू एवं ग्रे कॉलर श्रमिकों का कौशल विकास प्रदान करता है।
  - कृषि नींव: मूल्य पूर्वानुमान, उत्पादकता, गुणवत्ता प्रमाणन और पारगम्यता के लिये कृषि मंच। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिये यह मंच ब्लॉकचेन तकनीक के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने का दावा करता है।
  - यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP): यह लॉजिस्टिक्स सेक्टर को संबोधित करने के लिये आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को डिजिटल बनाने के लिये एक एकीकृत मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है।

- समशिक्षा: इस प्लेटफार्म को भविष्य के ऑनलाइन विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिये वन-स्टॉप मंच के रूप में अवधारणा दी गई है।
- केवाईसी सेतु: यह डिज़िटल रूप से नए सेवा प्रदाताओं के साथ केवाईसी-डेटा साझा करने के लिये एक एकीकृत मंच है।
- काशी: इंटरनेट सेवा के माध्यम से नकदी किसानों और मज़दूरों को उनके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) खातों पर कम लागत वाले डिज़िटल ऋण समाधान प्रदान करेगी।
- स्वस्थ: 5000 से अधिक पंजीकृत डॉक्टरों के साथ एक टेलीमेडिसिन ऐप स्वास्थ्य मुद्दों के लिये एकीकृत सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और अस्पतालों एवं डॉक्टरों का एकीकरण शामिल है।
- प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया ऐप्स में विश्व स्तर के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज भी शुरू किया है और इसके रुझान अच्छे रहे हैं।

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अटल टिंकरिंग लैब्स चला रहा है, और कक्षा छठी से रोबोटिक्स एवं 3 डी प्रिंटिंग सिखाई जा रही है।
  - एआईएम इनक्यूबेटरों का भी समर्थन करता है और एक रचनात्मक एवं नवाचार की संस्कृति को उत्प्रेरित करता है।
- नेशनल हैल्थ स्टैक एवं आरोग्य सेतु को सार्वजनिक और निज़ी भागीदारी के साथ भारत में एक हेल्थटेक तंत्र के लिये एक संयोगशील भविष्य की कल्पना करते हुए विकसित किया गया था।
- भारत के पास डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में UPI प्लेटफॉर्म की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
  - UPI, सिर्फ 4 वर्ष पुराना है, लेकिन एक दशक पुराने अमेरिकन एक्सप्रेस के माध्यम से लेनदेन की तुलना में 10 गुनी अधिक लेनदेन की संख्या रिपोर्ट की गई है।

चुनौतियाँ

- इन विश्व स्तरीय उत्पादों के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुशल अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।
  - इसके लिये डेटा माँग वाले उद्यमियों, एआई एल्गोरिथम इंजीनियरों, कंप्यूटिंग शक्तियों और एआई-सक्षम नीति वातावरण के प्रवाह जैसे महत्त्वपूर्ण आदानों की आवश्यकता है।
  - हालाँकि मोबाइल और कम डेटा लागत एवं शीर्ष स्तर के स्टार्ट-अप उद्यमियों के कारण भारत में विशालकाय डेटा है लेकिन उत्पाद प्रबंधकों, एआई वैज्ञानिकों, उत्पाद डिज़ाइनरों तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का अभाव है।
- एक और चुनौती इसे समावेशी बनाने की होगी ताकि यह अधिकांश लोगों तक पहुँचे और सुरक्षित भी रहे ताकि किसी भी तरह की गोपनीयता और डेटा चोरी का मुद्दा न उत्पन्न हो।

आगे की राह

- हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों को एआई इंजीनियर तैयार के के लिये पुन: शुरुआत करनी चाहिये, ऐसे इंजीनियर जो अत्याधुनिक टेक कंपनियों को लॉन्च करने के लिये तकनीकी उद्यमियों के भागीदार हो सकते हैं।
- भारत को विश्व के टेक गैरेज के रूप में स्थापित करने में सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसे एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिये और भारत एवं विश्व के लिये नवाचार करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की सहक्रियाओं को एक साथ लाना चाहिये।
- इसमें प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास के लिये एक सक्षम वातावरण और एक अनुकूल नियामक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने और प्रत्येक रोल आउट के लिये आवश्यक आकार एवं पैमाने प्रदान करने की क्षमता है।
  - उत्पाद विकास आदर्श रूप से निजी उद्यमिता के माध्यम से किया जाना चाहिये, सरकार जिसमें एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करे।
- उत्पाद डिज़ाइन के प्रमुख सिद्धांतों में पारदर्शिता, सुरक्षा और पहुँच में आसानी शामिल होनी चाहिये।
- उत्पादों की बनावट सार्वलौकिक होनी चाहिये, किसी भी होस्टिंग वातावरण के लिये इन्हें पोर्टेबल होना चाहिये और आधिकारिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिये।

नोट :

बीटी कपास के प्रभाव

संदर्भ

जीन संवर्द्धित (जीएम) कपास, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस (बीटी) से कीटनाशक जीन युक्त पौधे भारत में लगभग बीस वर्षों से उगाए जा रहे हैं। यह कीटनाशक, अब बीटी पौधे की प्रत्येक कोशिका में उत्पादित होता है, जो पौधे को बोर्नवॉर्म से बचाने के लिये चाहिये जिससे पैदावार बढ़े और कपास के पौधे पर कीटनाशकों का छिड़काव कम हो। हालाँकि, भारत में जीन संवर्द्धित फसलों को काफी समर्थन दिये जाने के बावजूद, कई अध्ययनों के अनुसार जीन संवर्द्धित फसलों से मामूली लाभ हुए हैं।

बीटी कपास का इतिहास

- भारत में कपास हज़ारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है।
- लगभग 3,000 ईसा पूर्व के सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो के खंडहरों से और मेहरगढ़, पाकिस्तान में पुरातात्विक निष्कर्षों से प्राप्त किये गये हैं, इससे पता चलता है कि उपमहाद्वीप में 5,000 ईसा पूर्व से कपास का उपयोग किया जाता था।
- भारत में 20 वीं शताब्दी तक कपास की अधिकांश खेती 'देसी' किस्म Gossypium Arboreum की होती थी।
- 1990 के दशक से, G. hirsutum की संकर किस्मों को बढ़ावा दिया गया था।
- इन संकर पौधों में विभिन्न प्रकार के स्थानीय कीटों के खिलाफ प्रतिरोधकता नहीं होती है और उन्हें अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। कपास कई कीटों जैसे पिंक बोलवॉर्म (PBW) और सैप-सकिंग कीटों जैसे एफिड्स और मैली बग्स से काफी पर्याक्रमित होता है।
- बढ़ते कर्ज और कम होती पैदावार के साथ बढती कीट प्रतिरोधकता ने कपास किसानों की दुर्दशा को और बदतर कर दिया।
- इसके समायोजन के लिये भारत में वर्ष 2002 में बीटी कपास की शुरुआत की गई थी।

बीटी कपास को अपनाना

- कृषि मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2005 से, बीटी कपास को अपनाए जाने से वर्ष 2007 के 81% से वर्ष 2011 में 93% तक की वृद्धि हुई है।
- शुरुआती वर्षों में बीटी कपास की जाँच करने वाले कई लघु-अवधि के अध्ययनों में कहा गया कि बीटी कपास घटती पैदावार और कीटनाशक खर्चों के लिये रामबाण थी।

बीटी कपास वास्तव में सफल रहा है?

पैदावार एवं बीटी कवर के मध्य विसंगति

- उपज और बीटी कपास को अपनाए जाने के मध्य विसंगतियाँ हैं।
- उदाहरण के लिये, बीटी रकबा वर्ष 2003 में कुल कपास क्षेत्र का केवल 3.4% था। हालाँकि वर्ष 2003-2004 में कपास की उपज में वृद्धि 61% थी, इसलिये बीटी कपास को इसका श्रेय देना उचित नहीं है। इसी प्रकार वर्ष 2005 तक बीटी कवरेज केवल 15.7 प्रतिशत था लेकिन उपज में वृद्धि 2002 के स्तर से 90% अधिक थी।
- बीटी कपास को अपनाया जाना बुलवॉर्म के लिये कीटनाशक छिड़काव में कमी के संगत था, अध्ययन में कहा गया है, कि देशव्यापी पैदावार वर्ष 2007 के बाद स्थिर हो गई जबकि अधिक किसान बीटी कपास उगाने लगे थे।
- वर्ष 2018 तक, तेज़ी से बीटी अपनाने के वर्षों की तुलना में पैदावार कम थी।
- कई राज्यों के आँकड़े इसके संगत हैं
- अलग-अलग राज्यों के आँकड़े क्षेत्रीय रुझानों को समझने में अधिक सहायक हैं।
    - महाराष्ट्र में, बीटी कपास की शुरुआत किये जाने के बाद वृद्धि दर में कोई परिवर्तन नहीं होने के साथ,पैदावार वर्ष 2000 के दशक के बाद बढ़ गयी।

नोट :

- गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी, इस किस्म को अपनाए जाने एवं पैदावार में वृद्धि के मध्य कोई संबंध नहीं है।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2003 में गुजरात में कपास की पैदावार में 138% वृद्धि हुई थी, जबकि बीटी कपास का उपयोग कपास के कुल रकबे के 5% भूमि में ही किया गया था।

इसी तरह के निष्कर्ष पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखे जाते हैं, जहाँ बीटी कपास के प्रसार एवं उपज में बढ़ोतरी असंगत है।

कम उत्पादकता

- भारत की कपास उत्पादकता (प्रति इकाई क्षेत्र में उपज), अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है।
- इसका अर्थ यह है कि कपास उत्पादन के लिये एक बहुत बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जाता है अत: बीटी कपास उपज बढ़ाने में विफल रही है।

मार्केट कैप्चर

- सार्वजनिक क्षेत्र के कपास उत्पादन में कमी के साथ वाणिज्यिक बीटी संकर किस्मों ने बाज़ार पर महत्त्वपूर्ण रूप से अपना प्रभाव कायम किया है।
- अत: भारतीय कपास किसानों के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं और निजी बीज कंपनियों द्वारा उत्पादित बीटी संकर बीजों का उपयोग करने के लिये मज़बूर हैं।

किसान संकट

- उच्च लागत एवं उच्च जोखिम के कारण, कृषि संकट हाइब्रिड कपास की खेती करने वाले किसानों में बहुत अधिक है।
- सघन किस्मों (पौधों को एक छोटी अवधि के लिये उच्च घनत्व पर बोया जाता है) ने इस संकट को काफी कम किया है साथ ही उपज में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

प्रभाव मूल्यांकन

- खाद्य फसल की पैदावार बढ़ाने के लिये जीएम तकनीक का विस्तार करने से पहले आजीविका, कृषि संकट आदि पर इसके प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य है। अत: एक प्रौद्योगिकी को अपनाने के परिणाम का मूल्यांकन एक विशेष संदर्भ में किया जाना चाहिये।
- यदि प्रौद्योगिकी प्रमुख हितधारकों (किसानों) की ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देती है, तो इससे महत्त्वपूर्ण नकारात्मक गिरावट हो सकती है, विशेष रूप से भारत में जिसमें सीमांत एवं निर्वाह किसानों का अनुपात अधिक है।

कृषि पैटर्न में परिवर्तन

- कपास रोपण के दो पैटर्न हैं।
  - पहला सघन एवं लघु अवधि पैटर्न है है जिसमें पौधों को लघु अवधि के लिये उच्च घनत्व पर बोया जाता है।
  - दूसरा पैटर्न लंबी अवधि वाला है जिसमें पौधे सघन नहीं होते हैं।
- भारत में लंबी अवधि एवं कम सघन विधि को प्राथमिकता दी जाती है।
- हालाँकि, भारत में हाइब्रिड झाड़ीदार, लंबी अवधि के होते हैं और दस गुना कम घनत्व पर रोपित किये जाते हैं, लेकिन कपास एक शुष्क फसल है और भारत में कपास के तहत आने वाले 65% क्षेत्र वर्षा आधारित हैं।
- इन क्षेत्रों में भूजल तक अपर्याप्त पहुँच वाले किसान पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होते हैं। यहाँ, लघु अवधि की किस्म का एक बड़ा लाभ है क्योंकि यह सिंचाई पर निर्भरता एवं जोखिम को कम करता है।
- विशेष रूप से मानसून चले जाने के बाद मिट्टी की नमी कम होने पर पर ग्रोइंग सीज़न में।
- यह अवधि तब है जब कॉटन बॉल्स विकसित होती हैं और पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है।

नोट :

स्वदेशी नस्लों पर ध्यान

- भारत में ब्रिटिशों के आगमन से पहले, लंबे समय में विकसित की गईं कपास की विभिन्न स्वदेशी किस्में देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती थीं, जिनमें से प्रत्येक स्थानीय मिट्टी, जल और जलवायु के अनुकूल होती थी।
- भारतीय सूती वस्त्र ने सहस्राब्दियों तक विश्व व्यापार पर अपना प्रभुत्व रखा और ग्रीस, रोम, फारस, मिस्र, असीरिया और एशिया के कुछ हिस्सों सहित कई स्थानों पर इसका निर्यात किया जाता था।
- दशकों से भारत के लिये 'देसी' किस्मों की उपेक्षा का नुकसान बहुत बढ़ गया है।
- ये किस्में कई कीटों का विरोध करती हैं और संकर किस्मों के साथ जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे समस्याएँ इनमें नहीं होती हैं।
- शोध से पता चलता है कि प्योर लाइन कपास की किस्मों, उच्च घनत्व वाले रोपण और लघु अवधि के पौधों के साथ, भारत में कपास की पैदावार अच्छी हो सकती है और जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं का सामना करने के लिये एक बेहतर अवसर उत्पन्न हो सकता है।
- संसाधनों, अवसंरचना और बीजों के लिये सरकार का समर्थन 'देसी' किस्मों को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

नगा विद्रोह का मुद्दा

संदर्भ

दशकों की बातचीत के बाद नगा शांति प्रक्रिया फिर से अवरुद्ध हुई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN-IM) के "नगा राष्ट्रीय ध्वज" और "नगा येझाबो" (संविधान) पर गैर-लचीलेपन को कई अन्य कारणों के मध्य प्राथमिक कारण कहा जा रहा है। यह मुद्दा इन दो स्थितियों की तुलना में अधिक जटिल है, क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत में नगालैंड के पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित करता है।

इसकी शुरुआत कैसे हुई ?

- वर्ष 1881 में नगा हिल्स ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गईं।
- बिखरी हुई नगा जनजातियों को एक साथ लाने के प्रयास के परिणामस्वरूप वर्ष 1918 में नगा क्लब का गठन हुआ।
- नगा क्लब ने वर्ष 1929 में साइमन कमीशन को अस्वीकार कर दिया और उन्हें "प्राचीन काल की तरह उनके स्वयं के हाल पर छोड़ने के लिये" कहा।
- क्लब को वर्ष 1946 में नगा नेशनल काउंसिल (NNC) में मिला दिया गया।
- अंगामी ज़ापू फिज़ो के नेतृत्व में, एनएनसी ने 14 अगस्त, 1947 को नगालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और मई 1951 में एक "जनमत संग्रह" कराया, जिसमें दावा किया गया कि 99.9% नगाओं ने "संप्रभु नागालैंड" का समर्थन किया है।
- 22 मार्च, 1952 को फिज़ो ने 'भूमिगत नगा फेडरल गवर्नमेंट' (NFG) और 'नगा फेडरल आर्मी' (NFA) का गठन किया।
- उग्रवाद से निपटने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 1958 में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) बनाकर वहाँ लागू किया।
- वर्ष 1975 में, सरकार ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत NNC और NFG के इस गुट ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई।
- थिंजलेंग मुइवा (जो उस समय चीन में थे) की अगुवाई में लगभग 140 सदस्यों के एक गुट ने शिलॉन्ग समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इस गुट ने वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) का गठन किया।
- मुइवा के साथ इसाक चिसी स्वू और एस एस खापलांग भी थे।
- वर्ष 1988 में, हिंसक झड़प के बाद NSCN विभाजित होकर NSCN (IM) और NSCN (K) में बँट गया।
- एनएनसी कमज़ोर पड़ने लगा, और वर्ष 1991 में लंदन में फिज़ो की मृत्यु हो गई, एनएससीएन (आईएम) को इस क्षेत्र में "सभी विद्रोहियों की जननी" के रूप में देखा जाने लगा।

शांति प्रक्रिया का इतिहास

- जून 1947 में, असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी ने NNC में मध्यस्थों के साथ नौ बिंदुओं वाले समझौते पर हस्ताक्षर किये, लेकिन फिज़ो जैसे आंदोलन के मुख्य नेताओं को विश्वास में नहीं लिया गया और इसलिये फिज़ो ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
- जुलाई 1960 में 16 दिसंबर के समझौते के बाद 1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड का निर्माण हुआ, इस मामले में समझौता एनएनसी के साथ नहीं होकर नगा पीपुल्स कन्वेंशन के साथ हुआ था, जो कि अगस्त 1957 में एक उदारवादी चरण के दौरान नगाओं का नेतृत्व कर रहा था।
- अप्रैल 1964 में, एनएनसी के साथ संचालन के निलंबन पर एक समझौते के लिये एक शांति मिशन का गठन किया गया था, लेकिन वर्ष 1967 में छह दौर की वार्ता के बाद इसे त्याग दिया गया था।
- 11 नवंबर, 1975 को, सरकार ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किये , जिसके तहत एनएनसी और एनएफजी के इस गुट ने हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

- हालाँकि, समूह के भीतर एक धड़े ने शिलांग समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया।

विभिन्न प्रधानमंत्रियों के तहत नगा शांति प्रक्रिया

- नगा भारत की स्वतंत्रता से पहले भी संप्रभुता की मांग कर रहे थे, उनका दावा था कि वे ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे।
- पंडित नेहरू ने मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने नगा मामलों को विदेश मंत्रालय में एक निदेशक के अधीन रखा।
- इंदिरा गांधी ने उन्हें "स्वतंत्रता के अतिरिक्त कुछ भी प्रदान करने" की पेशकश की, लेकिन इस मुद्दे को गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया, और इसने नगाओं को नाराज़ कर दिया।
- पी.वी. नरसिम्हा राव वह प्रधानमंत्री थे जिसने इस मुद्दे पर शांति के लिये हाथ बढाया।
- उनकी सरकार ने गुप्त रूप से एनएससीएन-आईएम के साथ बातचीत की और उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा ने भी इसी का अनुपालन किया।
- इंद्र कुमार गुजराल उनके साथ युद्ध विराम समझौते का करने में सक्षम हुए लेकिन यह एक लंबे समय तक चलने वाली शांति स्थापित करने में विफल रहा।
- अटल बिहारी वाजपेयी ने "अद्वितीय इतिहास एवं नगाओं की स्थिति" को मान्यता दी तथा वर्ष 2001 में एक संघर्ष विराम निगरानी समूह बनाया।
- मनमोहन सिंह ने भी NSCN-IM के साथ बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी अंतिम रूप नहीं ले सका।
- वर्तमान सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (इसाक-मुइवा) या एनएससीएन-आईएम ने अगस्त 2015 में एक नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जो उस समय एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई थी। लेकिन तब से एक अंतिम समझौता अप्राप्य बना हुआ है।

शांति में अवरोध

- नगा संप्रभुता की मान्यता, सभी नगा-भाषी क्षेत्रों का एकीकरण कर एक ग्रेटर नगालैंड, अलग संविधान और अलग झंडे ऐसी माँगें है जिन्हें पूरा करना केंद्र सरकार के लिये मुश्किल हो सकता है।
- वर्तमान में NSCN (IM) ने पूर्ण संप्रभुता की अपनी मांग छोड़ दी है और यह भारतीय संवैधानिक ढाँचे के तहत अधिक स्वायत्त क्षेत्र चाहता है, जो नगा इतिहास और परंपराओं की विशिष्टता से जुड़ा है।
- हालाँकि, एनएससीएन-आईएम के साथ बातचीत जटिल बनी हुई है, क्योंकि नगा अपने पैतृक क्षेत्रों के एकीकरण की माँग कर रहे हैं, जिसमें असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं।
  - तीनों राज्यों ने नगाओं को अपना क्षेत्र सुपुर्द करने से इनकार कर दिया है।
  - मणिपुर ने एक याचिका में विरोध किया है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  - अन्य दो राज्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं करेंगे।
- एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एनएससीएन-आईएम शिविरों में हथियारों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाने वाला है। एक 'युद्धविराम' दल के रूप में, इसके कैडरों को केवल आत्मरक्षा के लिये निर्धारित शिविरों के अंदर अपने हथियारों को बनाए रखने की आशंका है, लेकिन कई बार न, कई प्रभावशाली कैडरों को नागरिक इलाकों में हथियारों के साथ चलते हुए देखा जाता है, जिससे कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- केंद्र के लिये यह सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य होगा कि सभी हथियार अंतिम समझौते के समय समर्पित कर दिये जाएँ।
- प्रारंभिक चरण में, नगा विद्रोहियों को म्यांमार में जिसे 'सुरक्षित पनाहगाह' के रूप में जाना जाता है, उपलब्ध कराए गए थे।
- भारत के विरोधियों (चीन और पाकिस्तान) ने उन्हें एक समय पर महत्त्वपूर्ण बाहरी सहायता प्रदान की थी।
- कई जगह पर खुली हुई सीमा और दुरूह इलाके इसे सुरक्षा बलों के लिये मुश्किल बनाते हैं क्योंकि उग्रवादी सीमा पार चले जाते हैं जहाँ उन्हें भोजन एवं आश्रय दिया जाता है।

हालिया गतिरोध

- राज्यपाल द्वारा नगालैंड के मुख्यमंत्री को लिखा गया एक पत्र नवीनतम गतिरोध बन गया है।
- राज्यपाल आर.एन. रवि, ने नगालैंड में जबरन वसूली और सामान्य कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के पतन पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, जहाँ संगठित गिरोह व्यवस्था के समानांतर अपनी स्वयं की 'कर संग्रह' प्रणाली चलाते हैं।
- करों के नाम पर जबरन वसूली नगा मुद्दे का एक चुभने वाला पहलू रहा है।
- विद्रोही समूहों द्वारा लगाए गए करों ने नागालैंड में लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियों में दखल दिया है और एनएससीएन-आईएम का एक प्रमुख उद्देश्य समझौते के माध्यम से इस अनौपचारिक अभ्यास को औपचारिक मान्यता प्राप्त करना है।

कहानी का दूसरा पहलू

- नगालैंड में कुछ लोगों ने नगालैंड को एक राजनीतिक मुद्दे के बजाय "कानून और व्यवस्था के मुद्दे" की दृष्टि से देखने को राज्यपाल के दृष्टिकोण की आलोचना की है।
- उनका दावा है कि सरकार ने वर्ष 2015 में NSCN-IM के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये होते अगर नगालैंड "कानून और व्यवस्था का मुद्दा" होता।
- नगा लोगों के इतिहास और पहचान के बारे में गलतफहमी ने वार्ता को और जटिल कर दिया है।
- केंद्र सरकार नगालैंड को एक "अशांत क्षेत्र" के रूप में देखती है और उसने राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत रखा है।
- यह अधिनियम सेना को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें बिना वारंट के बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी शामिल हैं।

आगे की राह

- केंद्र को उग्रवादियों के सभी गुटों और समूहों के साथ लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिये बातचीत करनी चाहिये।
- सरकार ने भी यह महसूस किया कि एक विद्रोही समूह को विशेषाधिकार देने से अंततः अंतिम शांति समझौते की रूपरेखा विकृत हो सकती है और इसने बाद में नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों (NNPG) की छत्रछाया में चल रहे सात अन्य नगा विद्रोही समूहों को शामिल कर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
  - हालाँकि, एक अन्य महत्त्वपूर्ण समूह, NSCN- खापलांग, जिसके कैडर म्यांमार के अंदर होने की सूचना है, अभी भी औपचारिक प्रक्रिया से बाहर हैं।
- नगा सांस्कृतिक रूप से विभिन्न समुदायों / जनजातियों के विषम समूह है जिनकी मुख्यधारा की आबादी से अलग समस्याएँ हैं।
- लंबे समय तक चलने वाले समाधान को प्राप्त करने के लिये, उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं क्षेत्रीय सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- इस मुद्दे से निपटने का एक अन्य तरीका जनजातीय प्रमुखों के लिये शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकरण और शीर्ष स्तर पर न्यूनतम केंद्रीयकरण हो सकता है, मुख्य रूप से शासन को सुविधाजनक बनाने एवं बड़ी विकास परियोजनाओं को शुरू करने की दिशा में काम करना चाहिये।
- किसी भी शांति ढाँचे के प्रभावी होने के लिये, उससे असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की वर्तमान क्षेत्रीय सीमाओं को खतरा नहीं होना चाहिये। जैसा कि इन राज्यों को स्वीकार्य नहीं होगा।
- इन राज्यों में नगा क्षेत्रों के लिये अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है, जो नगाओं की संस्कृति और विकास के मुद्दों के साथ नगा क्षेत्रों के लिये पृथक बजट आवंटन को शामिल करेगा।
- एक नए निकाय का गठन किया जाना चाहिये जो नगालैंड के अलावा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में नगाओं के अधिकारों की देखभाल करेगा।
- इसके अलावा, केंद्र को यह ध्यान रखना होगा कि विश्व भर में अधिकांश सशस्त्र विद्रोह केवल जीत अथवा केवल हार में नहीं, बल्कि 'समझौता' कहे जाने वाले ग्रे जोन में समाप्त होते हैं।

नोट :

नगा

- नगा एक पहाड़ी समुदाय के लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 2.5 मिलियन (नागालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल राज्यों में 0.1 मिलियन) है और वे भारतीय राज्य असम और बर्मा के मध्य सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं।
- बर्मा में भी नगा समूह हैं।
- नगा एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है, जिसमें कई जनजातियाँ शामिल हैं, जो नगालैंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में रहती हैं।
- नगा इंडो-मंगोलॉयड वंश से संबंध रखते हैं।
- उन्नीस प्रमुख नगा जनजातियाँ हैं, जिनके नाम हैं, एओस, अंगामिस, चांग्स, चकेसांग, कबूइस, कचारिस, खैन-मंगस, कोन्याक्स, कुकिस, लोथस (लोथास), माओस, मिकीर्स, फोम्स, रेंगमास, संगतामास, सेमस, टैंकहुल्स, यामचुमगर और ज़ीलियांग।

दृष्टि The Vision